राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार
प्रथम तल, टावर ए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली–110029.
National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited
Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India
First Floor, Tower A, World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi-110029, Tel: +91 11 26768950, www.nhidcl.com
BHARATMALA ROAD TO PROSPERITY
Azadi Ka Amrit Mahotsav
NHIDCL BUILDING INFRASTRUCTURE · BUILDING THE NATION
CIN: U45400DL2014GOI269062
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

सं. एनएचआईडीसीएल/कैडर/रिक्रूटमेंट रूल्स/2025/ई-फाइल248068 **दिनांक : 01.08.2025**

अधिसूचना (1/2025)

विषय : राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम, 2025.

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एनएचआईडीसीएल अपने कर्मचारियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति नियम, 2025 को एतद्द्वारा अधिसूचित करता है। ये नियम, जिन्हें आगे एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियम, 2025 कहा जाएगा और इसके साथ संलग्न अनुसूची 'क' से 'ग' एनएचआईडीसीएल के विभिन्न संवर्गों में कर्मचारियों की भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति को नियंत्रित करेंगे और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियम, 2025, इन नियमों की **अनुसूची 'क'** और **अनुसूची 'ख'** में निर्दिष्ट सभी पदों पर लागू होंगे और निम्न पर लागू नहीं होंगे (i) ऐसे व्यक्ति जिन्हें लघु अवधि आधार पर या नियत समय के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया है; (ii) प्रशिक्षु, इंटर्न, प्रशिक्षणार्थी और तृतीय पक्ष आउटसोर्स/स्टाफिंग एजेंसी, सेवा प्रदाता या वैंडर के माध्यम से नियुक्त किए गए व्यक्ति (जिसमें कामगार, दैनिक श्रमिक, पार्ट-टाइम, दैनिक दर पर, तदर्थ कार्मिक शामिल हैं); (iii) पेशेवर।

नितिन शर्मा

(नितिन कुमार शर्मा)
कार्यपालक निदेशक

संलग्नक : यथोक्त।

प्रति

1. सभी कार्यपालक निदेशक
2. क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी क्षेत्रीय प्रमुख

सूचनार्थ प्रतिलिपि:

1. प्रबंध निदेशक के प्रधान निजी सचिव।
2. सभी निदेशकों के निजी सचिव।
3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
4. राजभाषा अनुभाग।
5. रिकॉर्ड अनुभाग।

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम, 2025

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत 18 जुलाई, 2014 को निगमित एक सरकारी कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है (जिसे आगे 'कंपनी' कहा जाएगा), के ज्ञापन-पत्र और संस्था के अंतर्नियम में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी अपने कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति को विनियमित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -

1.1. इन नियमों को राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम, 2025 कहा जाएगा, जिन्हें आगे **'एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियम या नियम'** कहा जाएगा, और संदर्भ के आधार पर, इन नियमों के तहत जारी किए गए सभी प्रचालन निर्देश, प्रपत्र और मानक प्रचालन प्रक्रियाएं शामिल होंगी।

1.2. एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियम उस तिथि से प्रवृत्त होंगे जिससे इन्हें अधिसूचित किया जाएगा।

2. उद्देश्य -

2.1. कंपनी की स्थापना अपने प्रचालन क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य अवसंरचनाओं की योजना, डिज़ाइन, विकास, अनुरक्षण और प्रचालन के उद्देश्य से की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों, सीमावर्ती और रणनीतिक क्षेत्रों पर केंद्रित है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, कंपनी ने विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। नियमित कर्मचारियों की यह भर्ती न केवल संस्थागत धारणा में वृद्धि करेगी, बल्कि स्वामित्व को भी बढ़ाएगी जो कंपनी को विकास के अगले स्तर पर ले जा सकती है। भर्ती से कंपनी के दुर्गम और दूरस्थ प्रचालन क्षेत्रों में पर्याप्त स्टाफिंग भी सुनिश्चित होगी और कंपनी को अपेक्षानुसार परियोजना-विशिष्ट विशेषज्ञता के परिनियोजन में सहायता मिलेगी।

2.2. स्थायी कैडर का गठन और नियमित कर्मचारियों की भर्ती भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग ('डीपीई') की भी अधिदेशित अपेक्षा है, जो कंपनी पर लागू होती है।

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

2.3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए तथा कंपनी को संरचित रीति से अपनी जनशक्ति अपेक्षाओं की योजना बनाने में सक्षम करने के लिए, कंपनी ने एक निष्पक्ष, पारदर्शी, योग्यतापूर्ण तथा निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए ये नियम बनाए हैं, ताकि वह सर्वोत्तम प्रतिभाओं को उस जनहित की पूर्ति के लिए आकर्षित कर सके, जिसके लिए कंपनी की स्थापना की गई है।

3. **कार्यक्षेत्र और प्रयोज्यता -**

3.1. ये नियम इन नियमों की **अनुसूची 'क' और 'ख'** में निर्दिष्ट सभी पदों पर लागू होंगे। ये नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे: (i) वे व्यक्ति जो अल्पकालिक आधार पर या निश्चित अवधि की संविदा पर नियुक्त हैं; (ii) शिक्षु, प्रशिक्षु, प्रशिक्षणार्थी और ऐसे व्यक्ति (जिनमें कामगार, आकस्मिक श्रमिक, अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ कर्मचारी शामिल हैं) जो किसी तृतीय पक्ष आउटसोर्सिंग/स्टाफिंग एजेंसी, सेवा प्रदाता या वेंडर के माध्यम से नियुक्त हैं; (iii) व्यवसायी।

3.2. ये नियम भारत सरकार और डीपीई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विशेष लागू दिशानिर्देशों, नियमों, परिपत्रों, निर्देशों, अधिसूचनाओं, छूटों, आदेशों, परामर्शों, सिफारिशों, ज्ञापनों के अनुसार तैयार किए गए हैं, और इन्हें आगे संग्रहित रूप से **'डीपीई दिशानिर्देश'** कहा जाएगा। यदि डीपीई दिशानिर्देशों में कोई परिवर्तन होता है जो इन नियमों में निर्दिष्ट मामलों को प्रभावित करता है, तो ऐसे संशोधित डीपीई दिशानिर्देश ऐसे संशोधनों की सीमा तक स्वतः लागू माने जाएँगे।

4. **परिभाषाएं और व्याख्या -**

4.1. इन नियमों में अन्यत्र परिभाषित शब्दों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ/तात्पर्य निम्नानुसार होंगे :-

(i) **'एपीएआर'** से तात्पर्य है वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जो उपयुक्त प्रारूप में तैयार की जाती है, और जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है;

(ii) **'अपीलीय प्राधिकारी'** से तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जिसके समक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है, जैसा कि इन नियमों में आगे निर्दिष्ट किया गया है;

(iii) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए **'नियुक्ति प्राधिकारी'** कंपनी के प्रबंध निदेशक होंगे;

(iv) **'नियुक्ति पत्र'** से तात्पर्य उन व्यक्तियों को जारी किया गया सेवायोजन अनुबंध है, जिन्होंने इन नियमों के तहत कंपनी के साथ सेवायोजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है

(v) **'बोर्ड'** से तात्पर्य कंपनी के निदेशक मंडल से है।

(vi) **'संवर्ग'** से तात्पर्य कंपनी के किसी वर्ग, सेवा या कार्यात्मक प्रभाग में शामिल पदों के समूह से है, जिससे कोई कर्मचारी संबंधित है और जिसके अंतर्गत कर्मचारी की पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा;

(vii) **'कंपनी'** से तात्पर्य राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड से है;

(viii) **'सक्षम प्राधिकारी'** से तात्पर्य कंपनी के प्रबंध निदेशक और/या कंपनी के किसी अन्य अधिकारी से है, जिसे प्रबंध निदेशक ने इन नियमों के अंतर्गत लिखित आदेश द्वारा विशिष्ट शक्तियां प्रत्यायोजित की हों;

(ix) **'डीपीसी'** से तात्पर्य संवर्गों के भीतर विभिन्न ग्रेडों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति से है, जिसका गठन पदोन्नति के लिए इन नियमों में निर्दिष्ट पद्धति से कर्मचारियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए किया गया है;

(x) **'डीपीई'** से तात्पर्य भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग से है;

(xi) **'प्रतिनियुक्त व्यक्ति'** से तात्पर्य सरकार (केंद्र, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों या किसी अन्य सरकारी निकाय के अधिकारियों से है, जिन्हें उनके नियोक्ता द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है और कंपनी द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। **"प्रतिनियुक्ति"** शब्द का तदनुरूप अर्थ होगा;

(xii) **'सीधी भर्ती'** से तात्पर्य कंपनी द्वारा संवर्ग में पदों को भरने के लिए खुले बाजार से की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया से है;

(xiii) **'अनुशासनात्मक प्राधिकारी'** से तात्पर्य प्रत्येक संवर्ग के अंतर्गत विभिन्न ग्रेडों के लिए ऐसे प्राधिकारी से है, जैसा कि इन नियमों के अंतर्गत आगे निर्दिष्ट किया गया है;

(xiv) **'कर्मचारी'** से तात्पर्य कंपनी के ऐसे कर्मचारी से है जिसे सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त

किया गया है या कंपनी में संवर्ग के किसी पद पर आमेलित किया गया है और जिसकी परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो, संतोषजनक रूप से पूरी होने के बाद स्थायीकरण किया गया है। "कर्मचारी" शब्द में प्रतिनियुक्तिकर्ता, सलाहकार, व्यवसायी, तृतीय पक्ष जनशक्ति एजेंसियों या सेवा प्रदाताओं के माध्यम से नियुक्त व्यक्ति और किसी निश्चित अवधि की संविदा पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं होंगे;

(xv) **'कार्यपालक समिति'** से तात्पर्य समय-समय पर गठित कंपनी की मुख्य प्रबंधन समिति से है और वर्तमान में इसमें प्रबंध निदेशक, प्रशासन और मानव संसाधन के प्रभारी निदेशक, निदेशक (तकनीकी-I और II) और मुख्यालय में तैनात सभी कार्यपालक निदेशक शामिल हैं;

(xvi) **'कार्यात्मक प्रभाग'** से तात्पर्य प्रचालन और प्रबंधन स्तरों को दर्शाने के लिए ग्रेडों के आंतरिक वर्गीकरण से है;

(xvii) **'ग्रेड'** से तात्पर्य उन स्तरों से है जिनमें प्रत्येक संवर्ग को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें अधिकतम ई2 से ई9 तक के ग्रेड शामिल हैं;

(xviii) **'मुख्यालय'** से तात्पर्य समय-समय पर निर्दिष्ट कंपनी के कॉर्पोरेट मुख्यालय से है और जो वर्तमान में प्रथम एवं द्वितीय तल, टॉवर ए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में स्थित है;

(xix) **'आईडीए'** से तात्पर्य औद्योगिक महंगाई भत्ता से है;

(xx) **'विलग पद'** से तात्पर्य ऐसे पदों से है जिन्हें समय-समय पर स्पष्ट रूप से 'विलग पद' (अर्थात् फीडर ग्रेड पद या प्रमोशनल ग्रेड के बिना पद) के रूप में चिन्हित किया जाता है;

(xxi) **'प्रदायक एजेंसी'** से तात्पर्य उस मूल संगठन से है जिससे प्रतिनियुक्त व्यक्ति संबंधित है या प्रतिनियुक्त व्यक्ति का नियोक्ता, जैसा कि संदर्भ द्वारा अपेक्षित हो;

(xxii) **'स्तर'** से तात्पर्य भारत सरकार के 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अनुसार केंद्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) पैटर्न और समय-समय पर लागू स्तरों से है;

(xxiii) **'प्रबंध निदेशक और/या एमडी'** से तात्पर्य कंपनी के प्रबंध निदेशक से है;

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

(xxiv) **'मंत्रालय/एमओआरटीएच'** से तात्पर्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से है;

(xxv) **'गैर-चयन विधि'** से तात्पर्य, पदोन्नति निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए, एक ऐसी प्रक्रिया से है जहाँ संबंधित डीपीसी, प्रासंगिक अवधि के वार्षिक कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन (एपीएआर) की समीक्षा के आधार पर, पदोन्नति के लिए पात्र कर्मचारियों को केवल 'योग्य' या 'अयोग्य' के रूप में वर्गीकृत करती है;

(xxvi) **'व्यवसायी'** से तात्पर्य युवा व्यवसायी, विशेषज्ञ व्यवसायी और प्रतिष्ठित व्यक्ति या कंपनी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र या अन्य किसी भी श्रेणी के सलाहकार से है;

(xxvii) **'भर्ती प्राधिकरण'** से तात्पर्य कंपनी के उस विशिष्ट प्रभाग से है जिसका नेतृत्व प्रशासन और मानव संसाधन के प्रभारी निदेशक करते हैं, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा कंपनी की भर्ती प्रक्रिया को लागू करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है;

(xxviii) **'भर्ती सूचना'** से तात्पर्य उस सूचना से है जो भर्ती प्राधिकरण द्वारा किसी संवर्ग के किसी ग्रेड में किसी रिक्ति को भरने के लिए जारी की जाती है;

(xxix) किसी निश्चित ग्रेड और/या स्तर पर किसी पद के संबंध में **'नियमित सेवा'** से तात्पर्य उस पद पर किसी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा से है, जिसमें किसी भी अधिकृत अनुपस्थिति की अवधि भी शामिल है। नियमित सेवा, किसी निश्चित ग्रेड पर किसी विशेष पद पर नियमित आधार पर, या तो सीधी भर्ती द्वारा, या पदोन्नति द्वारा या आमेलन द्वारा, कार्य ग्रहण करने की तिथि से प्रारंभ होगी; परंतु इसमें प्रतिनियुक्ति पर, निश्चित अवधि के अनुबंधों के अंतर्गत या कंपनी द्वारा नियोजित व्यावसायिकों द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ शामिल नहीं होंगी;

(xxx) **'आरक्षित श्रेणियाँ'** से तात्पर्य अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और कोई अन्य श्रेणी से है, जिसके संबंध में कंपनी को डीपीई दिशानिर्देशों और अन्य लागू कानूनों, सरकारी निर्देशों, नियमों और विनियमों के अंतर्गत आरक्षण प्रदान करने का अधिदेश दिया गया है;

(xxxi) **'अनुसूची'** से तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची से है;

(xxxii) **'चयन समिति-I'** से तात्पर्य बोर्ड के अनुमोदन से गठित समिति से है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

प्रबंध निदेशक	**अध्यक्ष**
प्रशासन एवं मानव संसाधन के प्रभारी निदेशक	सदस्य
सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से नामित कम से कम 2 (दो) बाह्य विशेषज्ञ	सदस्य
सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नामित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अपर महानिदेशक (एडीजी) स्तर का 1 (एक) प्रतिनिधि	सदस्य
ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें निर्दिष्ट किया जा सकता है, जिनमें यथा अपेक्षित आरक्षित श्रेणियों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।	

(xxxiii) **'चयन समिति-II'** से तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समिति से है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
प्रशासन एवं मानव संसाधन के प्रभारी निदेशक	सदस्य
प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से नामित कम से कम 2 (दो) बाह्य विशेषज्ञ	सदस्य
सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से नामित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का 1 (एक) प्रतिनिधि	सदस्य
ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें निर्दिष्ट किया जा सकता है, जिनमें यथा अपेक्षित आरक्षित श्रेणियों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।	

स्पष्टीकरण: - ऐसे सभी मामलों में जहां चयन समिति अपनी प्रक्रियाएं और नियम बनाती है, वह यह सुनिश्चित करेगी कि यथासंभव अधिकतम सीमा तक, उसके प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से अंक प्रदान करें और औसत (यथा निर्धारित रीति से गणना किए गए) को उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंतिम अंक माना जाएगा।

(xxxiv) **'चयन पद्धति'** से तात्पर्य, पदोन्नति निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए, एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें संबंधित डीपीसी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले (और जिन्हें अयोग्य नहीं ठहराया गया है) सभी कर्मचारियों को योग्यता के आधार पर वर्गीकृत करती है। यह वर्गीकरण संबंधित अवधि के लिए वार्षिक कार्य प्रदर्शन रिपोर्ट (एपीएआर) की समीक्षा करके और डीपीसी द्वारा निर्धारित आंतरिक प्रक्रिया का पालन करके किया जाएगा।

4.2. व्याख्या : -

(i) किसी भी लिंग को दर्शाने वाले शब्दों में, जहाँ तक प्रासंगिक हो, अन्य सभी लिंग शामिल माने जाएँगे;

(ii) एकवचन का अर्थ बताने वाले शब्दों में बहुवचन भी शामिल होगा और इसके विलोमत:;

(iii) 'शामिल', 'सम्मिलित है' और 'सहित' शब्दों को 'बिना किसी सीमा के' शब्दों के साथ जोड़ा हुआ माना जाएगा;

(iv) किसी भी लागू कानून या किसी भी सरकारी नियम, परिपत्र, निर्देश आदि के संदर्भ में ऐसे किसी भी कानून या नियम, परिपत्र, निर्देश आदि के संदर्भ शामिल होंगे जिन्हें समय-समय पर संशोधित, अनुपूरित या पुनः अधिनियमित किया जा सकता है, और किसी वैधानिक प्रावधान के संदर्भ में उस प्रावधान के तहत समय-समय पर बनाए गए किसी भी अधीनस्थ कानून को शामिल किया जाएगा;

(v) इन नियमों के प्रावधानों और: (क) और अनुसूचियों की भाषा; (ख) प्रचालन निर्देशों, प्रपत्रों और मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के प्रावधानों के बीच किसी भी असंगति की स्थिति में, नियमों की शब्दावली लागू होगी।

5. पदों का वर्गीकरण -

5.1. कंपनी में बोर्ड से नीचे के सभी पदों को निम्नलिखित ग्रेडों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा :

ग्रेड (IDA)	पद	वर्तमान वेतनमान (रुपये में)
ई9	वरिष्ठ कार्यपालक निदेशक (वरि. का. नि.)	1,50,000 – 3% – 3,00,000
ई8	कार्यपालक निदेशक (का.नि.)	1,20,000 – 3% – 2,80,000
ई7	वरिष्ठ महाप्रबंधक (वरि.म.प्र.)	1,00,000 – 3% – 2,60,000
ई6	महाप्रबंधक (म.प्र.)	90,000 – 3% – 2,40,000
ई5	उप-महाप्रबंधक (उप-म.प्र.)	80,000 – 3% – 2,20,000
ई4	वरिष्ठ प्रबंधक (वरि. प्र.)	70,000 – 3% – 2,00,000
ई3	प्रबंधक (प्र.)	60,000 – 3% – 1,80,000
ई2	उप-प्रबंधक (उप-प्र.)	50,000 – 3% – 1,60,000

5.2. सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी: (i) प्रचालन, मध्य प्रबंधन और वरिष्ठ प्रबंधन स्तरों पर व्यक्तियों को निर्दिष्ट करने के लिए उपरोक्त ग्रेडों को कार्यात्मक प्रभागों में वर्गीकृत करना; (ii) कंपनी के प्रचालन क्षेत्र को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के विशिष्ट समूहों

में विभाजित करना, जिन्हें आगे **'राज्य समूह'** कहा जाएगा।

स्पष्टीकरण : प्रारंभिक राज्य समूह इन नियमों की **अनुसूची 'ग'** में निर्दिष्ट हैं। बोर्ड को कंपनी की प्रचालन अपेक्षाओं के आधार पर समय-समय पर **अनुसूची 'ग'** में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त होगी।

5.3. पारस्परिक वरिष्ठता और पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए, कर्मचारियों को उनके संबंधित संवर्गों में रखा जाएगा, जो निम्नानुसार होंगे :

(i) तकनीकी संवर्ग
(ii) वित्त एवं लेखा संवर्ग
(iii) मानव संसाधन एवं प्रशासन संवर्ग
(iv) भूमि अधिग्रहण संवर्ग
(v) विधि संवर्ग
(vi) सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग
(vii) सचिवीय संवर्ग
(viii) विलग पद

अध्याय II

सेवायोजन के निबंधन एवं शर्तें

6. नामावली, पद और अन्य ब्योरे -

6.1. पद का नाम, उनका वर्गीकरण, ग्रेड और वेतनमान **अनुसूची 'क'** में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।

6.2. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यताएँ, योग्यता-पश्चात अनुभव की अवधि और उससे संबंधित अन्य मामले **अनुसूची 'ख'** में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।

स्पष्टीकरण : सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रचालन अपेक्षाओं के आधार पर प्रत्येक पद के लिए न्यूनतम पात्रता अपेक्षाओं की समीक्षा की जा सकती है और बोर्ड के अनुमोदन से इसमें संशोधन किया जा सकता है।

6.3. किसी भी रिक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु, आवेदक को **अनुसूची 'ख'** और जारी की गई भर्ती सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक न्यूनतम पात्रता अपेक्षाओं को पूरा करना होगा, जो लागू डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के सदस्यों को दी गई किसी भी छूट के अधीन होगा।

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

6.4. स्वीकृत पदों की कुल संख्या के भीतर, सक्षम प्राधिकारी को किसी संवर्ग में और/या विभिन्न संवर्गों में कार्यात्मक प्रभाग के भीतर पदों को पुनर्वितरित/समायोजित करने की शक्ति प्राप्त होगी।

परंतु इस नियम में उल्लिखित कोई भी बात निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी: (i) कोई प्रवृत्त कानून, डीपीई दिशानिर्देश और राष्ट्रपति के निर्देश जिनका कंपनी को आरक्षित श्रेणियों के सदस्यों के संबंध में पालन करना अपेक्षित है; (ii) कंपनी द्वारा यह निर्धारित करने के लिए अनुरक्षित पद-आधारित कैडर रोस्टर कि किसी विशेष पद को आरक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों में से भरा जाना है या नहीं।

6.5. संवर्ग संबंधी अन्य शर्तें निम्नानुसार हैं:-

(i) विभिन्न संवर्गों में सभी स्वीकृत पदों को मुख्यालय और विभिन्न राज्य समूहों के बीच विभाजित किया जाएगा।

(ii) कार्य ग्रहण करते समय, प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता-सह-विकल्प चयन के आधार पर मुख्यालय या किसी विशेष राज्य समूह में नियुक्त किया जाएगा।

(iii) कार्य ग्रहण करने की प्रारंभिक तिथि से 6 (छह) वर्ष की अवधि के लिए, एक राज्य समूह के अंतर्गत आने वाले राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानांतरण की अनुमति दी जा सकती है, तथापि विभिन्न राज्य समूहों में आने वाले राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानांतरण (अर्थात्, राज्य समूहों के बीच पारस्परिक स्थानांतरण) स्वीकार्य नहीं होंगे। 6 (छह) वर्ष पूरे होने के बाद ही, प्रचालन अपेक्षाओं और योग्यता के अधीन, राज्य समूहों के बीच स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा।

(iv) किसी राज्य समूह से मुख्यालय में स्थानांतरण केवल 6 (छह) वर्ष की प्रारंभिक सेवा पूरी करने के बाद ही अनुमत होगा और मुख्यालय में रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन भी होगा।

(v) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ई2 स्तर पर भर्ती किए गए कर्मचारी की संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान मुख्यालय में तैनाती की कुल अवधि 10 (दस) वर्ष से अधिक न हो। किसी भी एक समय में, मुख्यालय में तैनाती की अवधि 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

परंतु यदि किसी पद पर भर्ती विशेष रूप से किसी विशेष स्थान या मुख्यालय के लिए की गई हो, तो उपरोक्त शर्तें लागू नहीं होंगी।

(vi) ई4 से ऊपर के स्तरों पर भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए, नियम 6.5 (v) यथावश्यक परिवर्तनों सहित, आनुपातिक आधार पर लागू होगा।

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

6.6. सेवा दायित्व

कोई भी कर्मचारी या प्रतिनियुक्त अधिकारी कंपनी की अपेक्षाओं के अनुसार भारत में या बाहर कहीं भी सेवा करने हेतु उत्तरदायी होगा। प्रतिनियुक्त अधिकारी, प्रतिनियुक्ति की प्रासंगिक शर्तों में निर्दिष्ट सीमा तक, उपरोक्त नियम 6.5 के भी अधीन होंगे।

6.7. आरक्षण

(i) भर्ती प्रक्रिया के दौरान, कंपनी आरक्षित श्रेणियों के सदस्यों के लिए आरक्षण से संबंधित सभी लागू डीपीई दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

(ii) कंपनी एक पद-आधारित रोस्टर का भी अनुरक्षण करेगी और आरक्षित श्रेणियों के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्दिष्ट सभी रिपोर्टिंग संबंधी औपचारिकताओं का पालन करेगी।

(iii) यदि सक्षम प्राधिकारी का विचार है कि आरक्षित पदों के लिए आरक्षित श्रेणियों से पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो सक्षम प्राधिकारी, डीपीई दिशानिर्देशों के समग्र फ्रेमवर्क के भीतर, आरक्षित श्रेणियों के व्यक्तियों को अतिरिक्त छूट/रियायत/ढील प्रदान कर सकता है। ये अतिरिक्त छूट, रियायतें या ढील भर्ती सूचना में निर्दिष्ट की जाएंगी।

परंतु **अनुसूची 'ख'** में किसी विशेष पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के संबंध में न्यूनतम पात्रता मानदंड में कोई छूट नहीं होगी।

7. चयन प्रक्रिया -

विभिन्न संवर्गों में रिक्तियों को सीधे भर्ती या प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा। विलगित पदों सहित विभिन्न संवर्गों में रिक्तियों को भरने की रीति का अतिरिक्त विवरण **अनुसूची 'ख'** में दिया गया है।

7.1 भर्ती सूचना:

(i) सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों को भर्ती सूचना जारी करके अधिसूचित किया जाएगा। यह भर्ती सूचना निम्नलिखित विधियों के अनुसार अधिसूचित की जाएगी : –

(क). प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों, रोजगार समाचार, और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा कंपनी की वेबसाइट पर विज्ञापन (विज्ञापनों) के प्रकाशन द्वारा।

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

इसके अतिरिक्त, कंपनी प्रक्रियानुसार केंद्रीय सेवायोजन कार्यालयों को भी सूचित करेगी।

(ख). जहां लागू हो, भर्ती सूचना अन्य प्राधिकरणों, आयोगों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों जैसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, विशेष सेवायोजन कार्यालयों, पूर्व सैनिक बोर्डों को भी परिचालित की जाएगी।

(ग). प्रत्येक पद के लिए भर्ती सूचना में पद का प्रकार, पद का नाम और विवरण, न्यूनतम पात्रता योग्यताएं, वेतनमान, भत्ते और कंपनी द्वारा प्रदान किए गए लाभ, आवेदन पत्र का प्रारूप और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विवरण तथा प्राप्त करने वाले प्राधिकारी का संपर्क विवरण (ईमेल सहित) स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

(घ). प्रत्येक भर्ती सूचना में यह प्रावधान भी शामिल होगा कि उम्मीदवारों को इनमें से किसी भी पद के लिए बिचौलियों/भर्ती एजेंटों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। भर्ती सूचना में, जहाँ भी लागू हो, आरक्षित पदों और आरक्षित श्रेणियों के लिए प्रदान की गई छूट, यदि कोई हो, का विवरण भी शामिल होगा।

(ii) तकनीकी संवर्ग में प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को मंत्रालय और निम्नलिखित सभी या किसी भी विभाग या संगठन, अर्थात् केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), सैन्य इंजीनियरिंग सेवा (एमईएस), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), राज्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) और सड़क अवसंरचना या राजमार्गों से जुड़े केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परिचालित या सूचित किया जा सकता है। यह भी प्रावधान है कि ऐसे मामलों में नियम 7.1 (i) की अपेक्षा को समाप्त किया जा सकता है।

7.2 आवेदन

(i) अभ्यर्थी अपने आवेदन और सभी सहायक दस्तावेजों की प्रतियाँ संबंधित भर्ती सूचना में निर्दिष्ट रीति और समय-सीमा के भीतर जमा करेंगे और जहाँ भी लागू हो, आवेदन शुल्क का भुगतान करेंगे।

(ii) निर्दिष्ट समय-सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि आयु और योग्यता-पश्चात मानदंड निर्धारित करने

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

की अंतिम तिथि होगी।

(iv) परिणाम घोषित होने की तिथि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की तिथि मानी जाएगी।

(v) योग्यता-पश्चात अनुभव की गणना परिणाम घोषित होने की तिथि या प्रथम सेवा या नौकरी में कार्य ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से की जाएगी।

(vi) नियमों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट को छोड़कर, इस नियम 7.2 के प्रावधानों के संबंध में किसी भी कारण से कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

(vii) भर्ती सूचना में सरकारी विभागों/मंत्रालयों में कार्यरत अभ्यर्थियों के आवेदनों के संबंध में अतिरिक्त शर्तें हो सकती हैं (जिसमें आवेदन करने की विधि और उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र शामिल हैं)।

7.3 सीधी भर्ती की प्रक्रिया

(i) विभिन्न ग्रेडों के संबंध में सीधी भर्ती की प्रक्रिया निम्नानुसार और **अनुसूची 'ख'** में आगे निर्दिष्ट किए अनुसार की जाएगी।

(ii) सीधी भर्ती प्रक्रिया करते समय, भर्ती प्राधिकरण और संबंधित चयन समितियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि: (i) हितों के टकराव, पक्षपात या पूर्वोक्त किसी भी प्रकार की उपस्थिति की कोई घटना न हो; (ii) प्रौद्योगिकी का यथासंभव अधिकतम उपयोग किया जाए।

(iii) **ग्रेड ई2 के लिए–**

(क). भर्ती प्रक्रिया, भर्ती प्राधिकरण की देखरेख में गठित एक समिति द्वारा संचालित की जाएगी। तकनीकी संवर्ग में चयन इंजीनियरिंग में स्नातक योग्यता परीक्षा (गेट) में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। आवेदक द्वारा भर्ती सूचना की तिथि से ठीक पहले के पिछले 3 (तीन) वर्ष में प्राप्त गेट स्कोर को ही ध्यान में रखा जाएगा। यदि ऐसी 3 (तीन) वर्ष की अवधि में कई गेट स्कोर हैं, तो उनमें से सर्वश्रेष्ठ स्कोर को ध्यान में रखा जाएगा। गेट स्कोर के लिए एक न्यूनतम कट-ऑफ पर्सेंटाइल भी निर्धारित किया जाएगा।

(ख). मानव संसाधन एवं प्रशासन संवर्ग तथा भूमि अधिग्रहण संवर्ग में चयन, उस वर्ष की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा जिसके परिणाम संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा भर्ती सूचना की तिथि से ठीक पहले

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

प्रकाशित किए गए हों। यह इस शर्त के अधीन है कि आवेदक ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा - लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो और व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) में उपस्थित हुआ हो।

(ग). नियम 7.3 (iii) (क) और नियम 7.3 (iii) (ख) में शामिल संवर्गों के अलावा अन्य संवर्गों में चयन के लिए दो चरणों की प्रक्रिया होगी। यह प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

i. **चरण 1 : पात्रता परीक्षा** – यह एक बहुविकल्पीय प्रश्न-आधारित परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग के उद्देश्य से, इस परीक्षा में आवेदकों की सामान्य जागरूकता, विश्लेषणात्मक क्षमता, अभिक्षमता, तार्किक क्षमता जैसे गुणों की जाँच की जाएगी।

ii. **चरण 2 : चयन परीक्षा – विशिष्ट लिखित परीक्षा -** जो आवेदक उपरोक्त पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, वे विशिष्ट लिखित परीक्षा देने के पात्र होंगे, जो प्रत्येक संबंधित संवर्ग के लिए अलग-अलग हो सकती है।

(घ). उपरोक्त के आधार पर, संबंधित समिति(याँ) चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करेगी।

(iv) **ई4 से ई7 –**

(क). भर्ती की प्रक्रिया इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति-II की देखरेख में संचालित की जाएगी।.

(ख). यह प्रक्रिया दो चरणों में होगी:-

i. **चरण 1: पात्रता परीक्षा** – यह एक बहुविकल्पीय प्रश्न-आधारित परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग के उद्देश्य से, इस परीक्षा में आवेदकों की सामान्य जागरूकता, विश्लेषणात्मक क्षमता, अभिक्षमता, तार्किक क्षमता जैसे गुणों की जाँच की जाएगी।

ii. **चरण 2: चयन परीक्षा –**

क. विशिष्ट लिखित परीक्षा – उपरोक्त नियम 7.3 (iv) (ख) (i) के तहत

पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विशिष्ट लिखित परीक्षा देने के पात्र होंगे, जो प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग होगी और उस ग्रेड पर भी निर्भर करेगी जिसके लिए भर्ती की जा रही है।

ख. व्यक्तिगत साक्षात्कार – इसका संचालन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति-II द्वारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: विशिष्ट लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए अंकों की भारिता क्रमशः 90 और 10 के अनुपात में होगी।

(ग). यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन आवेदकों के पास भर्ती सूचना जारी होने की तिथि तक कंपनी में कुल 5 (पाँच) वर्ष अर्थात् 1825 दिन या उससे अधिक समय तक कार्य करने का अनुभव है, उन्हें पूर्वोक्त नियम 7.3 (iv) (ख) (i), के अंतर्गत चरण 1: पात्रता परीक्षा से छूट दी जाएगी। भर्ती एजेंसी इस नियम में उल्लिखित अनुभव की शर्तों की जाँच, सत्यापन और प्रमाणन के लिए उत्तरदायी होगी। तथापि, ऐसे आवेदकों पर इस नियम 7.3 (iv) के अन्य सभी प्रावधान लागू होंगे।

(घ). प्रतिपूर्ति - यदि संबंधित परीक्षा केंद्र (केंद्रों) और साक्षात्कार केंद्र तक की यात्रा 100 कि.मी. से अधिक है, तो उम्मीदवार नीचे दिए अनुसार किए गए खर्च (एक तरफ के) की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे :

i. आवेदन में दिए गए पते से विशिष्ट लिखित परीक्षा स्थल तक की गणना करके सबसे छोटे मार्ग के लिए द्वितीय एसी रेल किराया या बस किराया।

ii. सभी प्रतिपूर्तियाँ यात्रा प्रमाण प्रस्तुत करने के अध्यधीन होंगी।

(v) **ग्रेड ई8 और ई9 के लिए –**

(क). भर्ती प्रक्रिया इस प्रयोजन हेतु गठित चयन समिति-I द्वारा संचालित की जाएगी।

(ख). संबंधित समिति आवेदन आमंत्रित करने, अभ्यर्थियों की जांच और चयन करने तथा मूल्यांकन करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार करेगी, जिसमें

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

निम्नलिखित शामिल होंगे:

i. विशिष्ट परीक्षण;
ii. समूह चर्चा;
iii. व्यक्तिगत साक्षात्कार के अलावा व्यावसायिक प्रस्तुतियाँ।

(ग). **व्यक्तिगत साक्षात्कार –** उपरोक्त के अनुसरण में, चयन समिति - I, अपने निर्णय के अनुसार, व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित करेगी। साक्षात्कार में विषय ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा, शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक अनुभव, रुचियों, गतिविधियों आदि सहित समग्र अभिलेखों की जाँच की जाएगी, ताकि संबंधित पद के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जा सके।

(घ). साक्षात्कार की तिथि से कम से कम 1 (एक) सप्ताह पहले, भर्ती प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि चयन समिति-। के पास निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध हों भर्ती सूचना की एक प्रति, प्रत्येक उम्मीदवार का विवरण युक्त सारांश पत्र, मूल आवेदन पत्र, जहां भी उपलब्ध हो, उम्मीदवारों की मूल्यांकन रिपोर्ट/सार, विशेष जानकारी, यदि कोई हो, जिसमें यह भी शामिल है कि व्यक्ति आरक्षित श्रेणी का सदस्य है, किसी सरकारी विभाग से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र, आदि।

(ङ). **प्रतिपूर्ति**

यदि साक्षात्कार/परीक्षा स्थल तक की यात्रा 200 किमी से अधिक है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित व्यय (एक तरफ़ के) की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे :

i. इकोनॉमी क्लास का हवाई किराया।

ii. सभी प्रतिपूर्तियाँ प्रमाण प्रस्तुत करने के अध्यधीन होंगी।

7.4 प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया

(i) विभिन्न ग्रेडों के संबंध में प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया निम्नानुसार और **अनुसूची 'ख'** में आगे निर्दिष्ट अनुसार की जाएगी।

परंतु प्रतिनियुक्ति पर आने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या किसी भी संवर्ग की कुल संवर्ग क्षमता के 20% से अधिक नहीं होगी। इसके द्वारा यह भी प्रावधान किया जाता है कि केंद्रीय अभियांत्रिकी

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

सेवा - सड़क (सीईएस-आर) के अधिकारियों की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से कंपनी में प्रतिनियुक्ति के लिए, नियम और शर्तें (पारिश्रमिक, लाभ और कंपनी के भीतर स्तर सहित) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और कंपनी के बीच सहमति के अनुसार होंगी। इस संबंध में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और कंपनी प्रतिनियुक्ति की किसी भी मानक शर्तों पर परस्पर सहमत हो सकते हैं जो इन नियमों के अनुसार होंगी।

(ii) **ग्रेड ई2 से ई7 के लिए -**

(क) प्रतिनियुक्ति नियम 7.3 (iii) (क) के अंतर्गत गठित संबंधित समिति (ई2 से ई3 के लिए) या चयन समिति-II (ई4 से ई7 के लिए) द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) संबंधित समिति आवेदन आमंत्रित करने, उम्मीदवारों की जांच और चयन तथा मूल्यांकन (जिसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार के अलावा लिखित परीक्षा भी शामिल हो सकती है) के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार करेगी और यह प्रक्रिया इन नियमों के अनुसार की जाएगी।

(iii) **ग्रेड ई8 और ई9 के लिए -**

(क) भर्ती प्रक्रिया, इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति-I द्वारा संचालित की जाएगी, जो आवेदन आमंत्रित करने, उम्मीदवारों की जांच और चयन तथा मूल्यांकन (जिसमें लिखित परीक्षा भी शामिल हो सकती है और व्यक्तिगत साक्षात्कार भी शामिल होगा) के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार करेगी।

(ख) चयन समिति-I स्वयं के द्वारा निर्धारित रीति से व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित करेगी। मोटे तौर पर, साक्षात्कार में विषय ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा, शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक अनुभव, रुचियों, गतिविधियों आदि सहित समग्र अभिलेखों की जाँच की जाएगी, ताकि संबंधित पद के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जा सके।

(ग) साक्षात्कार की तिथि (तिथियों) से पूर्व, भर्ती प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि चयन समिति के पास सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाएँ।

(iv) **प्रतिनियुक्ति के लिए अतिरिक्त निबंधन एवं शर्तें** - प्रतिनियुक्ति की प्रासंगिक शर्तों में किए जा सकने वाले किसी भी प्रावधान के अतिरिक्त:

(क) प्रतिनियुक्त व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, उसके मूल विभाग/नियोक्ता को वापस भेजा जा सकता है।

(ख) प्रतिनियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम 1 (एक) माह का अग्रिम नोटिस देकर अपने मूल विभाग/नियोक्ता को समय से पूर्व वापस भेजने की मांग कर सकता है, परंतु ऐसे अनुरोध के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति अपेक्षित होगी।

(ग) कंपनी में अपने कार्यकाल के दौरान, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें निम्नलिखित द्वारा शासित होंगी: (i) प्रदायक एजेंसी द्वारा निर्धारित लागू सेवा नियम (पारिश्रमिक वेतनमान सहित); (ii) प्रदायक एजेंसी और कंपनी के बीच सहमत प्रतिनियुक्ति की शर्तें; (iii) कंपनी की विशिष्ट नीतियाँ जो प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्तियों पर स्पष्ट रूप से लागू होती हैं।

(घ) कंपनी मूल विभाग/नियोक्ता को सभी वैधानिक अंशदान जैसे भविष्य निधि और ग्रेच्युटी, जैसा भी लागू हो और कंपनी तथा प्रदायक एजेंसी के बीच सहमत किसी भी अन्य दायित्व का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगी। लेकिन वह ऐसे किसी गैर-वैधानिक अंशदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, जिस पर प्रदायक एजेंसी के साथ स्पष्ट रूप से सहमति नहीं हुई है।

(ङ) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, न ही वे किसी परिवीक्षा अवधि के अधीन होंगे। तथापि, यदि वे प्रतिनियुक्ति पर बने रहना चुनते हैं, तो वे अपनी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने तक पदोन्नति पद के वेतन के हकदार होंगे।

(च) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्तियों का कोई भी आमेलन केवल इन नियमों में निर्दिष्ट अनुसार ही किया जाएगा।

(छ) कंपनी सुनिश्चित करेगी कि (क) प्रतिनियुक्ति अवधि; (ख) प्रतिनियुक्ति के दौरान कंपनी के नियमों, विनियमों, नीतियों की प्रयोज्यता; (घ) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा कंपनी को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़, सहित प्रतिनियुक्ति की सभी शर्तें, सरकार के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार हों।

(v) प्रतिनियुक्ति पद्धति में छूट -

(क) बोर्ड कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए **अनुसूची-ख** में निर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए छूट दी जा सकती है।

(ख) जहाँ किसी भी संवर्ग में किसी भी ग्रेड के लिए **अनुसूची-ख** में भर्ती की पद्धति के रूप में प्रतिनियुक्ति निर्धारित है और जहाँ रिक्तियों के विरुद्ध पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो रही है, बोर्ड कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए, पद के लिए अपेक्षित अनुभव में छूट दे सकता है।

7.5 योग्यता सूची/चयन पैनल तैयार करना -

(i) ऊपर निर्दिष्ट संबंधित समिति(यों) द्वारा योग्यता क्रम में चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार की जाएगी। ऐसी सूची कंपनी द्वारा यथोचित रूप से संप्रेषित और/या अधिसूचित की जाएगी।

(ii) यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल मिलाकर समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उनका चयन उनकी जन्मतिथि के वरिष्ठतानुसार क्रम में किया जाएगा, जिसमें सबसे बड़े अभ्यर्थी को पहले स्थान पर रखा

जाएगा। यदि अभ्यर्थियों की जन्मतिथि समान है, तो उनका चयन उनके प्रथम नाम के वर्णानुक्रम में होगा।

एक आरक्षित/प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी, जो प्रति ग्रेड और प्रति रोस्टर विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी और जो 6 (छः) माह की अवधि के लिए या अगली भर्ती सूचना जारी होने तक, जो भी पहले हो, वैध होगी। यदि योग्यता सूची/चयन पैनल में शामिल कोई अभ्यर्थी निर्धारित अवधि के भीतर कार्य ग्रहण करने में विफल रहता है या आरक्षित/प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि के दौरान त्यागपत्र दे देता है, तो उस रिक्ति को भरने के लिए आरक्षित/प्रतीक्षा सूची का उपयोग किया जा सकता है। चयन पैनल की वैधता के दौरान सृजित कोई भी नई रिक्ति अभ्यर्थियों की आरक्षित सूची से नहीं भरी जाएगी।

7.6 समितियों द्वारा विशेष विचारण - संबंधित समितियाँ, जहाँ भी उपयुक्त हो, योग्यता सूची तैयार करते समय निम्नलिखित का विशेष उल्लेख करें:

(i) संबंधित ग्रेड/स्केल के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम से अधिक मूल वेतन की अनुशंसा करना। समिति को इस संबंध में विशिष्ट कारण बताने चाहिए, जैसे:

(क) वर्तमान संगठन में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त समग्र वेतन, भत्ते और लाभों को रक्षित करने के लिए, जो कंपनी के पारिश्रमिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत संरक्षित नहीं हैं;

(ख) उम्मीदवार योग्य है, लेकिन वेतनमान के न्यूनतम मूल वेतन पर कार्य ग्रहण करने के लिए अनिच्छुक है;

(ग) उम्मीदवार द्वारा असाधारण प्रदर्शन, जो उसकी कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में परिलक्षित होता है।

(ii) कोई विशिष्ट क्षेत्र जहाँ उम्मीदवार सबसे उपयुक्त होगा।

8. पदोन्नति -

8.1. अनुसूची 'ख' में निर्दिष्ट पात्रता की अर्हक अवधि पूरी करने वाले किसी भी संवर्ग के अंतर्गत किसी विशेष ग्रेड के किसी कर्मचारी पर इन नियमों में निर्दिष्ट रीति से पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा।

8.2. पदोन्नति का क्रम - किसी कर्मचारी को इन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निम्न ग्रेड से अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नत किया जाएगा। विभिन्न संवर्गों के लिए, पदोन्नति के निम्नलिखित स्तर उपलब्ध हैं: -

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

श्रेणी	पद	तकनीकी	वित्त एवं लेखा	मानव संसाधन एवं प्रशासन	विधिक	भूमि अधिग्रहण	सूचना प्रौद्योगिकी	अनुसचिवीय
ई9	वरिष्ठ कार्यपालक निदेशक (वरि.का.नि.)	√	-	√	-	-	-	-
ई8	कार्यपालक निदेशक (का.नि.)	√	√	√	-	-	-	-
ई7	वरिष्ठ महाप्रबंधक (वरि म.प्र.)	√	√	√	√	√	√	-
ई6	महाप्रबंधक (म.प्र.)	√	√	√	√	√	√	√
ई5	उप-महाप्रबंधक (उ.म.प्र.)	√	√	√	√	√	√	√
ई4	वरिष्ठ प्रबंधक (वरि.प्र.)	√	√	√	√	√	√	√
ई3	प्रबंधक (प्र.)	√	√	√	√	√	√	-
ई2	उप प्रबंधक (उ.प्र.)	√	√	√	√	√	√	√

नोट: केवल 'कंपनी सचिव', जो एक विलगित पद है, को स्वस्थाने आधार पर ई7 तक पदोन्नति दी जाएगी।

8.3 डीपीसी का गठन -

ग्रेड (आईडीए)	डीपीसी की संरचना	डीपीसी प्रक्रिया
ई3 से ई4 के लिए	सक्षम प्राधिकारी द्वारा डीपीसी का गठन किया जाएगा तथा इसकी अध्यक्षता, प्रशासन एवं मानव संसाधन के प्रभारी निदेशक करेंगे। पदोन्नति पात्रता-सह-वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी।	i. प्रत्येक डीपीसी उन मामलों के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार करेगी जिनका इन नियमों में विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया गया है। ii. कंपनी की प्रचालन अपेक्षाओं के आधार पर, इसे कार्यकाल संबंधी किसी भी मानदंड में ढील देने का अधिकार होगा। iii. डीपीसी *पदोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले वर्ष से ठीक पहले के*
ई5, ई6 और ई7 में पदोन्नति के लिए	सक्षम प्राधिकारी द्वारा डीपीसी का गठन किया जाएगा, तथा इसकी अध्यक्षता प्रबंध निदेशक करेंगे तथा इसमें प्रशासन एवं मानव संसाधन के	

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

ग्रेड (आईडीए)	डीपीसी की संरचना	डीपीसी प्रक्रिया
	प्रभारी निदेशक सदस्य के रूप में शामिल होंगे। पदोन्नति चयन के आधार पर की जाएगी तथा इसमें योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।	*पिछले 5 (पांच) लगातार वर्ष के एपीएआर की जांच करेगी।* iv. यदि ऊपर बताई गई कोई भी एपीएआर उपलब्ध नहीं है, तो डीपीसी, यदि उपलब्ध हो, तो पूर्ववर्ती 7 (सात) वर्ष में से 5 (पांच) वर्ष की एपीएआर पर विचार कर सकती है।
ई8 और ई9 की नियुक्तियों के लिए	डीपीसी का गठन बोर्ड के अनुमोदन से किया जाएगा।	

संबंधित डीपीसी में आरक्षित श्रेणियों से एक सदस्य होना चाहिए।

8.4 पदोन्नति के लिए पात्रता - अन्यथा निर्दिष्ट मानदंडों के अतिरिक्त, निम्नलिखित नियम लागू होंगे-

(i) ई5, ई6 और ई7 में पदोन्नति के लिए, विचाराधीन अवधि के लिए एपीएआर (वार्षिक रिपोर्ट) तत्काल फीडर ग्रेड (ग्रेडों) में कम से कम दो-तिहाई अवधि के लिए 'बहुत अच्छा' (या समान मध्य-स्तरीय ग्रेड) और उससे उच्चतर होना चाहिए।

(ii) ई8 और ई9 में पदोन्नति के लिए, विचाराधीन अवधि के लिए एपीएआर (वार्षिक रिपोर्ट) फीडर ग्रेड (ग्रेडों) में कम से कम दो-तिहाई अवधि के लिए 'उत्कृष्ट' (या उच्चतम ग्रेड से ठीक नीचे समान ग्रेड) और उससे उच्चतर होना चाहिए।

(iii) संबंधित डीपीसी द्वारा आयोजित की जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया में एक व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल होगा। इसमें लिखित परीक्षा, समूह चर्चा, व्यावसायिक प्रस्तुति या डीपीसी द्वारा तय कोई अन्य व्यवस्था भी शामिल हो सकती है।

(iv) डीपीसी की बैठकें वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएँगी।

(v) बैठकों के कार्यवृत्त कंपनी द्वारा विधिवत रूप से दर्ज और अनुरक्षित किए जाएँगे।

(vi) डीपीसी की सिफारिशों पर उचित रूप से विचार किया जाएगा और संतुष्ट होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इसे अनुमोदित किया जाएगा।

(vii) ऐसे अनुमोदन पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पदोन्नति का आदेश **('पदोन्नति आदेश')** जारी किया जाएगा।

(viii) कंपनी आरक्षित श्रेणियों के कर्मचारियों के आरक्षण के संबंध में सभी डीपीई दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

(ix) डीपीसी द्वारा पदोन्नति के किसी भी मामले पर विचार करने से पहले कंपनी के सतर्कता प्रभाग से मंजूरी प्राप्त की जाएगी।

(x) पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए पात्रता अवधि की गणना कार्य ग्रहण करने की वास्तविक तिथि से की जाएगी, न कि काल्पनिक पदोन्नति की तिथि से।

(xi) पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

8.5 लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले -

(i) किसी कर्मचारी पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा मामूली दंड लगाया गया हो, तो संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) द्वारा दंड लगाने से संबंधित सभी तथ्यों पर समुचित विचार करने के बाद, पदोन्नति हेतु विचार किया जा सकता है। यदि ऐसे कर्मचारी को डीपीसी द्वारा पदोन्नति के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो पदोन्नति, दंड की अवधि समाप्त होने के बाद प्रभावी होगी। ऐसी स्थिति में, आगे की पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि, पदोन्नति आदेश में उल्लिखित वास्तविक पदोन्नति की तिथि (अर्थात् दंड की अवधि समाप्त होने के बाद) से ही प्रारंभ होगी।

(ii) उन कर्मचारियों के संबंध में जिनके पदोन्नति मामले अनुशासनात्मक कार्रवाई/न्यायालयीन मामलों/अन्य कार्यवाहियों के कारण सीलबंद लिफाफे में रखे गए हैं, यदि बाद में उन्हें पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि की गणना पदोन्नति आदेश में अधिसूचित पदोन्नति की प्रभावी तिथि से की जाएगी, न कि वर्तमान पद पर वास्तविक कार्य ग्रहण करने/सेवा प्रदान करने की तिथि से।

(iii) जहां डीपीसी का मूल्यांकन एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाता है और कर्मचारी प्रासंगिक कार्यवाही के समापन से पहले सेवानिवृत्त/अधिवर्षिता प्राप्त कर लेता है, यदि कर्मचारी प्रासंगिक कार्यवाही के समापन पर पूरी तरह से दोषमुक्त हो जाता है, तो सेवानिवृत्ति की तिथि तक काल्पनिक पदोन्नति की अवधि के लिए काल्पनिक पदोन्नति और वेतन के बकाया का भुगतान, यदि कोई हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तय किया जाएगा।

8.6 यह स्पष्ट किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी विशेष ग्रेड में कार्य ग्रहण करता है, तो पूर्व अनुभव के वर्ष की संख्या पर ध्यान दिए बिना, केवल उस पद के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम अनुभव वर्ष को ही ध्यान में रखा जाएगा। दूसरे शब्दों में, पदोन्नति के लिए कर्मचारी के पास पहले से विद्यमान किसी 'अतिरिक्त' अनुभव को ध्यान में नहीं रखा जाएगा या उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

उदाहरण: यदि 14 (चौदह) वर्ष के अनुभव वाले व्यक्ति का चयन ई5 ग्रेड में होता है, तो उसके पास केवल 9 (नौ) वर्ष का अनुभव माना जाएगा, जो कि अनुसूची ख के तहत ई5 ग्रेड के लिए अपेक्षित न्यूनतम अनुभव स्तर है। इस मामले में 5 (पाँच) वर्ष का अतिरिक्त अनुभव अगले ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा।

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

8.7 पदोन्नति से इन्कार - पदोन्नति आदेश जारी होने पर, यदि कोई कर्मचारी उसे स्वीकार नहीं करना चाहता है, तो उसे इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित अनुरोध करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी सभी प्रासंगिक पहलुओं की समीक्षा करने के बाद मामले का निर्णय करेगा।

8.8 अपीलीय प्राधिकारी -

संबंधित डीपीसी के किसी भी निर्णय के विरुद्ध, पदोन्नति आदेश जारी होने की तिथि से 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर, नीचे दी गई तालिका में दिए गए अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है। संबंधित अपीलीय प्राधिकारी अपील प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र अपना निर्णय सूचित करेगा।

ग्रेड (आईडीए)	अपीलीय प्राधिकारी
ई3 से ई4 के लिए	प्रबंध निदेशक
ई5, ई6 और ई7 में पदोन्नति के लिए	कार्यकारी समिति
ई8 और ई9 की नियुक्तियों के लिए	निदेशक मंडल

9. आमेलन -

9.1 कंपनी नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्तियों को अपने स्थायी संवर्ग में आमेलित करने की एकमुश्त प्रक्रिया अपना सकती है।

9.2 आमेलन के संबंध में, संबंधित चयन समिति(यों) द्वारा की गई किसी भी और सभी सिफारिशों के लिए, जैसा भी लागू हो, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

9.3 ई2 से ई9 के लिए -

(i) ई2 और ई3 के लिए, नियम 7.3 (iii) (क) के तहत गठित समिति (अर्थात् भर्ती प्राधिकरण के तत्वावधान में गठित समिति) की सिफारिशों पर।

(ii) ई4 - ई9 के लिए, संबंधित चयन समिति(यों) की सिफारिश पर।

(iii) संबंधित चयन समिति अपनी स्वयं की मूल्यांकन प्रक्रिया तैयार करेगी, जिसमें लिखित परीक्षा, साक्षात्कार शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसमें व्यक्ति(यों) के प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा, जिसमें एपीएआर या समकक्ष दस्तावेजों का विश्लेषण शामिल होगा, शामिल होगी।

10. प्रस्ताव, कार्य ग्रहण और नियुक्ति संबंधी औपचारिकताएँ -

10.1 नियुक्ति पर उच्च प्रारंभिक वेतन

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

ई2 ग्रेड के पदों पर नियुक्ति के मामले को छोड़कर, संबंधित चयन समिति(यों) द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, प्रबंध निदेशक, उम्मीदवार की आयु, प्रासंगिक अनुभव, योग्यताएँ और निजी क्षेत्र में अंतिम प्राप्त पारिश्रमिक, सेवांत लाभों की हानि आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित किसी भी सीमा के अधीन, उम्मीदवार के लिए उच्च प्रारंभिक वेतन निर्धारित कर सकते हैं। ऐसे प्रत्येक मामले को सूचनार्थ निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

10.2 चिकित्सा स्वास्थ्य

प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रीति से चिकित्सा परीक्षण करवाना होगा और चिकित्सा/स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। इस शर्त को पूरा न करने पर नियुक्ति का कोई प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा और उम्मीदवार कंपनी में कार्य ग्रहण नहीं कर पाएगा।

उपर्युक्त के होते हुए भी, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकार से कंपनी में कार्य ग्रहण करने वाले उम्मीदवार, जिनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय जाँच की गई है और उन्हें योग्य घोषित किया गया है, उन्हें चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि उनके पूर्व नियोक्ता द्वारा उनके चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की गई हो।

10.3 नियुक्ति पत्र

चयनित उम्मीदवारों को कंपनी द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा और उसमें अन्य बातों के अलावा, पारिश्रमिक, कार्य ग्रहण करने की तिथि, कार्य विवरण, रिपोर्टिंग अधिकारी जैसे विवरण शामिल होंगे। प्रशासन एवं मानव संसाधन के प्रभारी निदेशक, लिखित कारण दर्ज करते हुए, कार्य ग्रहण की तिथि को 3 (तीन) माह तक विस्तारित कर सकते हैं। इसके बाद किसी विस्तार के लिए नियुक्ति प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

10.4 कार्य ग्रहण के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़

कार्य ग्रहण करते समय या अनुरोध किए जाने पर, उम्मीदवारों को भर्ती प्राधिकारी को निम्नलिखित दस्तावेज़ों की प्रतियाँ और नियुक्ति की रीति और ग्रेड के आधार पर अपेक्षित अन्य दस्तावेज़/सूचनाएँ प्रदान करनी होंगी। उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए मूल प्रतियाँ भी प्रदान करनी होंगी:

(i) पूर्व नियोक्ता से कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र और/या सेवा प्रमाणपत्र;

(ii) जन्म तिथि, शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता, प्रशिक्षण आदि के प्रमाण के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य;

(iii) व्यावसायिक अनुभव के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य;

(iv) विधिवत भरा हुआ सत्यापन प्रपत्र (तीन प्रतियों में);

(v) केंद्र/राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र और/या पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र;

(vi) डीपीई दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट रीति से आरक्षित श्रेणी से संबंधित होने के दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र;

(vii) जहाँ प्रासंगिक हो, अंतिम आहरित वेतन का वेतन प्रमाण पत्र;

(viii) चिकित्सा स्वास्थ्य रिपोर्ट और अन्य घोषणाएँ, जो अपेक्षित हों।

कंपनी अपने निर्णय के अनुसार पृष्ठभूमि सत्यापन प्रक्रियाएँ भी संचालित कर सकती है, जिसमें राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी (एनएडी) जैसे पोर्टलों पर शैक्षिक योग्यताओं का सत्यापन शामिल है। यदि उम्मीदवार द्वारा कोई अपूर्ण/गलत जानकारी दी जाती है, या यदि किसी भी कार्य ग्रहण संबंधी दस्तावेज़ और/या पृष्ठभूमि सत्यापन प्रक्रिया में कोई प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार से नियुक्ति प्रस्ताव को रद्द कर सकता है।

यहां उल्लिखित किसी कथन के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रचालन निर्देशों और/या मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार, इन नियमों के अंतर्गत की गई सभी नियुक्तियाँ तब तक अनंतिम रहेंगी जब तक कि सभी कार्य ग्रहण संबंधी दस्तावेज़ जमा नहीं कर दिए जाते और भर्ती प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार औपचारिकताएँ (पृष्ठभूमि सत्यापन की सभी प्रक्रियाओं सहित) पूरी नहीं कर ली जातीं।

सेवायोजन अवधि के दौरान किसी भी समय, यदि यह पाया जाता है कि भर्ती के समय कोई असत्य दस्तावेज़ या असत्य विवरण प्रस्तुत किया गया था, तो नियुक्ति तुरंत समाप्त कर दी जाएगी।

11. परिवीक्षा -

11.1 अनुसूची 'ख' में निर्दिष्ट किसी पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को, यथानिर्दिष्ट, नियुक्ति की तिथि से परिवीक्षा अवधि व्यतीत करनी होगी। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर परिवीक्षा की अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है और संबंधित नियुक्ति पत्र में इसका उल्लेख किया जाएगा।

11.2 प्रतिनियुक्त व्यक्तियों पर और यदि किसी व्यक्ति को फीडर कैडर के प्रत्यक्ष चैनल में किसी पद पर पदोन्नत किया जाता है, जिसमें उसे प्रारंभ में नियुक्त किया गया था, तो परिवीक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा।

11.3 परिवीक्षा अवधि के दौरान:

(i) कंपनी द्वारा परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएँ, बिना कोई कारण बताए, नियुक्ति पत्र में निर्दिष्ट किए अनुसार, नोटिस देकर (या उसके बदले में भुगतान करके) समाप्त की जा सकती हैं;

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

(ii) परिवीक्षाधीन व्यक्ति सेवायोजन समाप्ति की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, और उसे नियुक्ति पत्र में निर्दिष्ट नोटिस अवधि पूरी करनी होगी।

11.4 परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक पुष्टिकरण पत्र जारी किया जाएगा। ऐसा पत्र प्राप्त होने तक, व्यक्ति परिवीक्षा पर बना रहेगा और उसकी सेवाओं को कंपनी द्वारा पुष्टिकृत नहीं माना जाएगा।

11.5 नियुक्ति प्राधिकारी के निर्णयानुसार परिवीक्षा अवधि को विस्तारित किया जा सकता है। तथापि, **अनुसूची ख** और/या नियुक्ति पत्र में, जैसा भी मामला हो, यथा निर्दिष्ट, परिवीक्षा की कुल अवधि सामान्यतः प्रारंभिक परिवीक्षा अवधि के दोगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11.6 यदि परिवीक्षा अवधि या उसके किसी विस्तार, जैसा भी मामला हो, के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय है कि कोई व्यक्ति स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, या तो उस व्यक्ति को सेवामुक्त कर सकता है या उसे संबंधित नियुक्ति से पहले उसके द्वारा धारित पद पर वापस भेज सकता है।

12. वरिष्ठता -

12.1 कंपनी इन नियमों के तहत प्रत्येक संवर्ग में सभी ग्रेडों के लिए ग्रेड-वार वरिष्ठता सूची बनाएगी।

12.2 सीधी भर्ती या आमेलन द्वारा चयन के मामले में, पारस्परिक वरिष्ठता संबंधित चयन समिति(यों) द्वारा निर्दिष्ट या अनुशंसित क्रम में होगी। विशेष रूप से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्तियों के आमेलन के संबंध में, संबंधित चयन समितियाँ: (i) संबंधित व्यक्ति की वरिष्ठता निर्दिष्ट करेंगी, जिसमें प्रदाता एजेंसी में उनकी नियमित नियुक्ति की अवधि सहित उनकी पिछली सेवा को ध्यान में रखा जाएगा; (ii) यह सुनिश्चित करेंगी कि संबंधित व्यक्ति की वरिष्ठता सभी लागू कानूनों और न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार हो; (iii) यह सुनिश्चित करेंगी कि इस संदर्भ में निर्धारित वरिष्ठता के किसी भी सिद्धांत को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

12.3 चयन पद्धति द्वारा पदोन्नति के मामले में, वरिष्ठता संबंधित डीपीसी द्वारा निर्दिष्ट अनुसार होगी। जहाँ पदोन्नति गैर-चयन विधि के आधार पर की जाती है, वहाँ डीपीसी सभी कर्मचारियों को 'योग्य' के रूप में वर्गीकृत करके उनकी वरिष्ठता के क्रम में उस ग्रेड में रखेगी जहाँ से पदोन्नति की जाती है (अर्थात् उनके पिछले ग्रेड में उनकी वरिष्ठता प्रभावी रूप से आगे बढ़ाई जाएगी)। जहाँ पदोन्नति चयन पद्धति के आधार पर की जाती है, वहाँ डीपीसी, योग्यता के आधार पर, पात्र कर्मचारियों को वर्गीकृत करेगी और डीपीई दिशानिर्देशों के फ्रेमवर्क के भीतर उनकी वरिष्ठता निर्धारित करेगी।

12.4 जब किसी कर्मचारी को दंड लगाए जाने या अन्य किसी कारण से निचले पद पर वापस भेजा जाता है, तो उसे उस पद की वरिष्ठता सूची में, उस पद पर वापस भेजे जाने की तिथि पर उस पद पर आसीन सभी कर्मचारियों से ऊपर स्थान दिया जाएगा।

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

12.5 संबंधित वरिष्ठता सूची में कर्मचारियों की आपसी वरिष्ठता के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

13. अधिवर्षिता -

13.1 सभी कर्मचारियों के लिए अधिवर्षिता की आयु 60 (साठ) वर्ष होगी, जैसा कि डीपीई दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट है।

13.2 कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 56 (छप्पन) वर्ष होगी।

13.3 इन नियमों में निहित किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी को, यदि ऐसा करना जनहित में हो, किसी भी कर्मचारी को कम से कम 3 (तीन) माह का लिखित नोटिस देकर या ऐसे नोटिस के बदले 3 (तीन) माह का वेतन और भत्ते देकर सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. अनर्हताएँ -

14.1 कोई भी व्यक्ति, -

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति/पत्नी जीवित है; या

(ii) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, किसी भी श्रेणी के पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार के वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो ऐसे व्यक्ति को इस नियम के पालन से छूट दे सकता है।

14.2 प्राधिकरण में किसी भी पद के लिए कोई भी आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक, भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का नागरिक न हो।

14.3 कोई भी व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भर्ती प्राधिकरण/चयन समिति(यों) के किसी सदस्य या कंपनी के किसी अन्य अधिकारी को प्रभावित करने का प्रयास करता है या अपनी उम्मीदवारी के संबंध में कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाता है या कोई मिथ्याकथन या जानकारी प्रदान करता है, तो उसे किसी भी ग्रेड में किसी भी रिक्ति के विरुद्ध चयन के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

15. मानव संसाधन नियम पुस्तिका - बोर्ड एक मानव संसाधन नियम पुस्तिका तैयार करेगा, जो कर्मचारियों पर लागू होगी। इस नियम पुस्तिका में आचरण एवं अनुशासन नियमों, कर्मचारी लाभों और यथा अपेक्षित ऐसे अन्य मामले शामिल होंगे।

16. व्यावसायिकों की नियुक्ति - कंपनी समय-समय पर, किसी भी व्यक्ति को, ऐसे व्यावसायिकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर युवा व्यावसायिकों, विशेषज्ञ व्यावसायिकों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों या अन्य सलाहकारों के रूप में नियुक्त कर सकती है।

अध्याय III

सामान्य

17. व्याख्या -

इन नियमों के किसी प्रावधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी संदेह की स्थिति में, लिखित कारण दर्ज करते हुए, सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

18. शिथिल करने की शक्ति -

जहाँ बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि उपर्युक्त वर्णित किन्हीं नियमों के प्रचालन से, सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति, पारस्परिक वरिष्ठता या आरक्षण लागू करने से संबंधित मामलों को छोड़कर, किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों को अनुचित कठिनाई होती है, तो वह संबंधित नियम की अपेक्षा को उस सीमा तक और उसके द्वारा आवश्यक और समीचीन मानी गई शर्तों के अधीन, समाप्त या शिथिल कर सकता है।

19. छूट -

जैसा कि इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है, इन नियमों की कोई भी बात आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

20. संशोधन करने की शक्ति -

बोर्ड, अपेक्षानुसार किसी भी अनुसूची में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, और ऐसे सभी परिवर्तन उसमें निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होंगे। इसके अतिरिक्त, किसी भी संवर्ग में किसी भी ग्रेड की संख्या में वृद्धि या कमी सहित, उन्हें परिवर्तित स्थिति के अनुरूप लाने के लिए आवश्यक परिवर्तनों को लागू करने के उद्देश्य से कम से कम 2 (दो) वर्ष में एक बार अनुसूचियों की समीक्षा की जाएगी।

21. प्रचालन अनुदेश, प्रपत्र और मानक प्रचालन प्रक्रियाएँ जारी करने की शक्ति

इन नियमों के प्रावधानों को मानकीकृत, पारदर्शी और समयबद्ध रीति से कार्यान्वित करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर अपेक्षानुसार प्रचालन अनुदेश, प्रपत्र और मानक प्रचालन प्रक्रियाएँ जारी कर सकता है और ये इन नियमों का हिस्सा होंगे।

22. सरकारी निर्देश जारी करना

इन नियमों में निहित किसी बात के होते हुए भी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एनएचआईडीसीएल को कोई भी निर्देश जारी कर सकता है और उसका प्रभाव सर्वोपरि होगा।

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

अनुसूची क

क. कंपनी में संवर्ग

पारस्परिक वरिष्ठता और पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए, कर्मचारियों को उनके संबंधित संवर्गों में रखा जाएगा, जो निम्नानुसार होंगे :-

क). तकनीकी संवर्ग

ख). वित्त और लेखा संवर्ग

ग). मानव संसाधन एवं प्रशासन संवर्ग

घ). भूमि अधिग्रहण संवर्ग

ङ). विधिक संवर्ग

च). सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग

छ). अनुसचिवीय संवर्ग

ज). विलगित पद

ख. प्रत्येक संवर्ग में पद

क्र.सं.	ग्रेड	पद	वर्तमान वेतनमान (रुपए में)
क).		**तकनीकी संवर्ग**	
i.	ई9	वरिष्ठ कार्यपालक निदेशक	1,50,000 - 3% - 3,00,000
ii.	ई8	कार्यपालक निदेशक	1,20,000 - 3% - 2,80,000
iii.	ई7	वरिष्ठ महाप्रबंधक	1,00,000 - 3% - 2,60,000
iv.	ई6	महाप्रबंधक	90,000 - 3% - 2,40,000
v.	ई5	उप-महाप्रबंधक	80,000 - 3% - 2,20,000
vi.	ई4	वरिष्ठ प्रबंधक	70,000 - 3% - 2,00,000
vii.	ई3	प्रबंधक	60,000 - 3% - 1,80,000
viii.	ई2	उप-प्रबंधक	50,000 - 3% - 1,60,000
ख).		**वित्त और लेखा संवर्ग**	
i.	ई8	कार्यपालक निदेशक	1,20,000 - 3% - 2,80,000
ii.	ई7	वरिष्ठ महाप्रबंधक	1,00,000 - 3% - 2,60,000

क्र.सं.	ग्रेड	पद	वर्तमान वेतनमान (रुपए में)
iii.	ई6	महाप्रबंधक	90,000 - 3% - 2,40,000
iv.	ई5	उप-महाप्रबंधक	80,000 - 3% - 2,20,000
v.	ई4	वरिष्ठ प्रबंधक	70,000 - 3% - 2,00,000
vi.	ई3	प्रबंधक	60,000 - 3% - 1,80,000
vii.	ई2	उप-प्रबंधक	50,000 - 3% - 1,60,000
ग).		**मानव संसाधन एवं प्रशासन संवर्ग**	
i.	ई9	वरिष्ठ कार्यपालक निदेशक	1,50,000 - 3% - 3,00,000
ii.	ई8	कार्यपालक निदेशक	1,20,000 - 3% - 2,80,000
iii.	ई7	वरिष्ठ महाप्रबंधक	1,00,000 - 3% - 2,60,000
iv.	ई6	महाप्रबंधक	90,000 - 3% - 2,40,000
v.	ई5	उप-महाप्रबंधक	80,000 - 3% - 2,20,000
vi.	ई4	वरिष्ठ प्रबंधक	70,000 - 3% - 2,00,000
vii.	ई3	प्रबंधक	60,000 - 3% - 1,80,000
viii.	ई2	उप-प्रबंधक	50,000 - 3% - 1,60,000
घ).		**भूमि अधिग्रहण संवर्ग**	
i.	ई7	वरिष्ठ महाप्रबंधक	1,00,000 - 3% - 2,60,000
ii.	ई6	महाप्रबंधक	90,000 - 3% - 2,40,000
iii.	ई5	उप-महाप्रबंधक	80,000 - 3% - 2,20,000
iv.	ई4	वरिष्ठ प्रबंधक	70,000 - 3% - 2,00,000
v.	ई3	प्रबंधक	60,000 - 3% - 1,80,000
vi.	ई2	उप-प्रबंधक	50,000 - 3% - 1,60,000
ङ).		**विधिक संवर्ग**	
i.	ई7	वरिष्ठ महाप्रबंधक	1,00,000 - 3% - 2,60,000
ii.	ई6	महाप्रबंधक	90,000 - 3% - 2,40,000
iii.	ई5	उप-महाप्रबंधक	80,000 - 3% - 2,20,000
iv.	ई4	वरिष्ठ प्रबंधक	70,000 - 3% - 2,00,000
v.	ई3	प्रबंधक	60,000 - 3% - 1,80,000
vi.	ई2	उप-प्रबंधक	50,000 - 3% - 1,60,000

क्र.सं.	ग्रेड	पद	वर्तमान वेतनमान (रुपए में)
च).		**सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग**	
i.	ई7	वरिष्ठ महाप्रबंधक	1,00,000 - 3% - 2,60,000
ii.	ई6	महाप्रबंधक	90,000 - 3% - 2,40,000
iii.	ई5	उप-महाप्रबंधक	80,000 - 3% - 2,20,000
iv.	ई4	वरिष्ठ प्रबंधक	70,000 - 3% - 2,00,000
v.	ई3	प्रबंधक	60,000 - 3% - 1,80,000
vi.	ई2	उप-प्रबंधक	50,000 - 3% - 1,60,000
छ).		**अनुसचिवीय संवर्ग**	
i.	ई6	प्रधान स्टाफ अधिकारी (पीएसओ)	90,000 - 3% - 2,40,000
ii.	ई5	प्रधान निजी सचिव	80,000 - 3% - 2,20,000
iii.	ई4	वरिष्ठ निजी सचिव	70,000 - 3% - 2,00,000
iv.	ई2	निजी सचिव	50,000 - 3% - 1,60,000
ज).		**विलगित पद**	
i.	ई7	मुख्य सतर्कता अधिकारी	1,00,000 - 3% - 2,60,000
ii.	ई4	कंपनी सचिव	70,000 - 3% - 2,00,000
iii.	ई4	सहायक निदेशक (राजभाषा)	70,000 - 3% - 2,00,000

अनुसूची ख

क. तकनीकी संवर्ग

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई9	वरिष्ठ कार्यपालक निदेशक (वरि.का.नि.) – तकनीकी	1,50,000 – 3% – 3,00,000	लागू नहीं	चयन	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	55 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री के साथ राजमार्गों/सड़कों (प्रमुख जिला सड़कों और उससे ऊपर)/पुलों/सुरंगों/रनवे/भवन अवसंरचना से संबंधित अवसंरचना क्षेत्र परियोजनाओं के कार्यान्वयन का 28 वर्ष का समग्र अनुभव	**सीधी भर्ती :** (i) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त और (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई8 ग्रेड में 8 वर्ष / स्तर 14 में 8 वर्ष **पदोन्नति** : कंपनी के तकनीकी संवर्ग में ई8-कार्यपालक निदेशकों में से चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को भी पूरा करते हों: • 28 वर्ष की समग्र सेवा, और ई8 में 8 वर्ष, या ई7 और ई8 ग्रेड में कुल 12 वर्ष, जिसमें से कम से कम 4 वर्ष ई8 में हों	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	प्रतिनियुक्ति: सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों में से : (i) भारत सरकार के 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स (1,44,200-2,18,200 रुपए) के स्तर 14 के वेतनमान या समकक्ष में मूल संवर्ग के पद पर **आठ वर्ष** की नियमित सेवा या भारत सरकार के 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स (1,23,100-2,15,900 रुपए) के स्तर 13 और वेतन मैट्रिक्स (1,44,200-2,18,200 रुपए) के स्तर 14 के वेतनमान में मूल संवर्ग के पद पर **बारह वर्ष** की नियमित सेवा, जिसमें से कम से कम 4 वर्ष स्तर 14 में हों या ई8 ग्रेड में 8 वर्ष से समरूप पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 9 में निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं और वर्ष का अनुभव परंतु यह भी कि राज्य लोक निर्माण विभागों से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदक ने कम से कम 8 वर्ष तक नियमित आधार पर मुख्य अभियंता (सीई) के पद पर कार्य किया हो। **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई8	कार्यपालक निदेशक (का.नि.) – तकनीकी	1,20,000 – 3% – 2,80,000	6 माह	चयन	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती	52 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री के साथ राजमार्गों/सड़कों (प्रमुख जिला सड़कों और उससे ऊपर)/पुलों/सुरंगों/रनवे/ भवन अवसंरचना से संबंधित अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन का 20 वर्ष का समग्र अनुभव	**सीधी भर्ती :** (i) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त और (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई7 ग्रेड में 4 वर्ष, या ई8 ग्रेड में या स्तर 14 पद पर कार्यरत **पदोन्नति :** कंपनी के तकनीकी संवर्ग में ई7 - वरिष्ठ महाप्रबंधकों में से चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को भी पूरा करते हों : • 20 वर्ष की समग्र सेवा$, और • ई7 में 4 वर्ष, या ई6 और ई7 ग्रेड में कुल 7 वर्ष, जिसमें से कम से कम 2 वर्ष ई7 में हों **प्रतिनियुक्ति :** सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से:	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	(i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 के वेतनमान (1,44,200-2,18,200 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत। या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 के वेतनमान (1,23,100-2,15,900 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर चार वर्ष की नियमित सेवा या ई8 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या 4 वर्ष से ई7 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त परंतु यह भी कि राज्य लोक निर्माण विभागों से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदक ने नियमित आधार पर मुख्य अभियंता (सीई) के पद पर कार्य किया हो या कम से कम **4 वर्ष** तक नियमित आधार पर अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्य किया हो। **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई7	वरिष्ठ महाप्रबंधक (वरि.महा प्र.)–तकनीकी	1,00,000 – 3% – 2,60,000	6 माह	चयन	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती	48 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री के साथ राजमार्गों/सड़कों (प्रमुख जिला सड़कों और उससे ऊपर)/पुलों/सुरंगों/रनवे/भवन अवसंरचना से संबंधित अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन का 16 वर्ष का समग्र अनुभव	**सीधी भर्ती :** (i) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त और (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई6 ग्रेड में 3 वर्ष / स्तर 13 में 3 वर्ष या ई7 ग्रेड में कार्यरत **पदोन्नति** : कंपनी के तकनीकी संवर्ग में ई6 - महाप्रबंधकों में से चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को भी पूरा करते हों : • 16 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई6 में 3 वर्ष, या ई5 और ई6 ग्रेड में कुल 7 वर्ष, जिसमें से कम से कम 1 वर्ष ई6 में हो **प्रतिनियुक्ति** : सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से:	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	(i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 के वेतनमान (1,23,100-2,15,900 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत। या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 के वेतनमान (78,800-2,09,200 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर **सात वर्ष की** नियमित सेवा या ई7 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या ई6 ग्रेड में 3 वर्ष से समरूप या समकक्ष पर पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त परंतु यह भी कि राज्य लोक निर्माण विभागों से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदक ने नियमित आधार पर अधीक्षण अभियंता (एसई) के पद पर कार्य किया हो या कम से कम **10 वर्ष** तक नियमित आधार पर कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्य किया हो। **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई6	महाप्रबंधक (महा प्र.) – तकनीकी	90,000 – 3% – 2,40,000	6 माह	चयन	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती	44 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री के साथ राजमार्गों/सड़कों (प्रमुख जिला सड़कों और उससे ऊपर)/पुलों/सुरंगों/रनवे/ भवन अवसंरचना से संबंधित अवसंरचना क्षेत्र परियोजनाओं के कार्यान्वयन का 13 वर्ष का समग्र अनुभव	**सीधी भर्ती :** (i) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त और (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई5 ग्रेड में 4 वर्ष / स्तर 12 में 4 वर्ष या ई6 ग्रेड या स्तर 13 के पद पर कार्यरत **पदोन्नति :** कंपनी के तकनीकी संवर्ग में ई5 – उप-महाप्रबंधकों में से चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को भी पूरा करता हो: • 13 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई5 में 4 वर्ष, या ई4 और ई5 ग्रेड में कुल 7 वर्ष, जिसमें से कम से कम 2 वर्ष ई5 में हों	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विदयमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	प्रतिनियुक्ति : सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 के वेतनमान (78,800-209,200 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर **चार वर्ष** की नियमित सेवा या ई6 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या ई5 ग्रेड में 4 वर्ष से समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त परंतु यह भी कि राज्य लोक निर्माण विभागों से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदक ने कम से कम **7 वर्ष तक** नियमित आधार पर कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्य किया हो। **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई5	उप-महाप्रबंधक (उप महा प्र.) – तकनीकी	80,000 – 3% – 2,20,000	6 माह	चयन	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती	41 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री के साथ राजमार्गों/ सड़कों (प्रमुख जिला सड़कों और उससे ऊपर)/पुलों/ सुरंगों/रनवे/भवन अवसंरचना से संबंधित अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन का 9 वर्ष का समग्र अनुभव	**सीधी भर्ती :** (i).कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त और (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई4 ग्रेड में 3 वर्ष / स्तर 11 में 3 वर्ष या ई5 ग्रेड या स्तर 12 के पद पर कार्यरत **पदोन्नति** : कंपनी के तकनीकी संवर्ग में ई4 - वरिष्ठ प्रबंधकों में से चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को भी पूरा करते हों : • 9 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई4 में 3 वर्ष, या ई3 और ई4 ग्रेड में कुल 7 वर्ष, जिसमें से कम से कम 1 वर्ष ई4 में हो	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	प्रतिनियुक्ति : सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 के वेतनमान (78,800-209,200 रुपए) में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 के वेतनमान (67,700-208,700 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर **तीन वर्ष** की नियमित सेवा या ई5 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या ई4 ग्रेड में 3 वर्ष से समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त परंतु यह भी कि राज्य लोक निर्माण विभागों से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदक ने कम से कम **3 वर्ष** तक नियमित आधार पर कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्य किया हो। **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई4	वरिष्ठ प्रबंधक (वरि.प्र.) – तकनीकी	70,000 – 3% – 2,00,000	6 माह	गैर-चयन	पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती	38 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री के साथ राजमार्गों/ सड़कों (प्रमुख जिला सड़कों और उससे ऊपर)/पुलों/ सुरंगों/रनवे/भवन अवसंरचना से संबंधित अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन का 6 वर्ष का समग्र अनुभव	**सीधी भर्ती :** (i) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त और (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई3 ग्रेड में 4 वर्ष / स्तर 10 में 4 वर्ष या ई4 ग्रेड या स्तर 11 के पद पर कार्यरत **पदोन्नति** : कंपनी के तकनीकी संवर्ग में ई3 - प्रबंधक(कों) में से गैर-चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को भी पूरा करते हों : • 6 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई3 में 4 वर्ष	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	प्रतिनियुक्ति : सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 के वेतनमान (67,700-208,700 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत। या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के वेतनमान (56,100-1,77,500 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर **चार वर्ष** की नियमित सेवा और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त परंतु यह भी कि राज्य लोक निर्माण विभागों से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदक नियमित आधार पर कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यरत हो या कम से कम **4 वर्ष तक** नियमित आधार पर सहायक कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्य किया हो। **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई3	प्रबंधक तकनीकी	60,000 – 3% – 1,80,000	लागू नहीं	गैर-चयन	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति	36 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री के साथ राजमार्गों/सड़कों (प्रमुख जिला सड़कों और उससे ऊपर)/पुलों/सुरंगों/रनवे/ भवन अवसंरचना से संबंधित अवसंरचना क्षेत्र परियोजनाओं के कार्यान्वयन का 2 वर्ष का समग्र अनुभव	**पदोन्नति** : तकनीकी संवर्ग में परिवीक्षाधीन उप-प्रबंधक के रूप में 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी करने के बाद नए अभ्यर्थियों में से गैर-चयन द्वारा **प्रतिनियुक्ति** : सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत.सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के वेतनमान (56,100-1,77,500 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत। या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 के वेतनमान (53,100-1,67,800 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर **तीन वर्ष** की नियमित सेवा या	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	ई3 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त परंतु यह भी कि राज्य लोक निर्माण विभागों से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदक नियमित आधार पर सहायक कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यरत हो **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

ग्रेड (आईडीए) (1)	Post (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई2	उप-प्रबंधक – तकनीकी	50,000 – 3% – 1,60,000	2 वर्ष	गैर-चयन	प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती	34 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री	**सीधी भर्ती :** कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति :** सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 के वेतनमान (47,600-1,51,100 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत। या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 के वेतनमान (44,900-1,42,400 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर **सात वर्ष** की नियमित सेवा। या ई2 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत	लागू नहीं

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त परंतु यह भी कि राज्य लोक निर्माण विभागों से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदक ने नियमित आधार पर सहायक अभियंता (एई)' के पद पर कार्य किया हो **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

ख. वित्त और लेखा संवर्ग

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई8	कार्यपालक निदेशक (का.नि.) – वित्त और लेखा	1,20,000 – 3% – 2,80,000	6 माह	चयन	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	52 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
सीए/सीएमए/एम.कॉम/एमबीए (वित्त) या समकक्ष/सरकार की वित्त और लेखा सेवा के किसी संगठित समूह 'क'/समूह 'ख' का सदस्य और किसी प्रतिष्ठित संगठन में वित्तीय लेखांकन या बजट या आंतरिक लेखा परीक्षक संविदा प्रबंधन या निधि प्रबंधन या संवितरण में कम से कम 10 वर्ष के अनुभव सहित कुल 20 वर्ष का अनुभव	**सीधी भर्ती :** (i) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त और (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई7 ग्रेड में 4 वर्ष, या ई8 ग्रेड में या स्तर 14 पद पर कार्यरत **पदोन्नति:** कंपनी के वित्त और लेखा संवर्ग में ई7 - वरिष्ठ महाप्रबंधकों में से चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को भी पूरा करते हों : • 20 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई7 में 4 वर्ष, या ई6 और ई7 ग्रेड में कुल 7 वर्ष, जिसमें से कम से कम 2 वर्ष ई7 में हों	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	**पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)**	**यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)**
	प्रतिनियुक्ति : सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 के वेतनमान (1,44,200-2,18,200 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत। या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 के वेतनमान (1,23,100-2,15,900 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर **चार वर्ष** की नियमित सेवा या ई8 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या ई7 ग्रेड में 4 वर्ष से समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई7	वरिष्ठ महाप्रबंधक (वरि.महा प्र.) – वित और लेखा	1,00,000 – 3% – 2,60,000	6 माह	चयन	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	48 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
सीए/सीएमए/एम.कॉम/एमबीए (वित्त) या समकक्ष/सरकार की वित और लेखा सेवा के किसी संगठित समूह 'क'/समूह 'ख' का सदस्य के साथ किसी प्रतिष्ठित संगठन में वितीय लेखांकन या बजट या आंतरिक लेखा परीक्षक संविदा प्रबंधन या निधि प्रबंधन या संवितरण में कम से कम 8 वर्ष के अनुभव सहित कुल 16 वर्ष का अनुभव	**सीधी भर्ती :** (i) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त और (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई6 ग्रेड में 3 वर्ष / स्तर 13 में 3 वर्ष या ई7 ग्रेड के पद पर कार्यरत **पदोन्नति** : कंपनी के वित और लेखा संवर्ग में ई6 - महाप्रबंधकों में से चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को भी पूरा करते हों • 16 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई6 में 3 वर्ष, या ई5 और ई6 ग्रेड में कुल 7 वर्ष, जिसमें से कम से कम 1 वर्ष ई6 में हो	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	प्रतिनियुक्ति : सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 के वेतनमान (1,23,100-2,15,900 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 के वेतनमान (78,800- 2,09,200 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर **सात वर्ष** की नियमित सेवा या ई7 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या ई6 ग्रेड में 3 वर्ष से समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई6	महाप्रबंधक (महा प्र.) – वित्त और लेखा	90,000 – 3% – 2,40,000	6 माह	चयन	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	44 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
सीए/सीएमए/एम.कॉम/एमबीए (वित्त) या समकक्ष/सरकार की वित्त और लेखा सेवा के किसी संगठित समूह 'क'/समूह 'ख' का सदस्य के साथ किसी प्रतिष्ठित संगठन में वित्तीय लेखांकन या बजट या आंतरिक लेखा परीक्षक संविदा प्रबंधन या निधि प्रबंधन या संवितरण में कम से कम 6 वर्ष के अनुभव सहित कुल 13 वर्ष का अनुभव।	**सीधी भर्ती :** (i) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त और (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई5 ग्रेड में 4 वर्ष / स्तर 12 में 4 वर्ष या ई6 ग्रेड या स्तर 13 के पद पर कार्यरत **पदोन्नति** : कंपनी के वित्त और लेखा संवर्ग में ई5 – उप महाप्रबंधको से चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को भी पूरा करते हों: • 13 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई5 में 4 वर्ष, या ई4 और ई5 ग्रेड में कुल 7 वर्ष, जिसमें से कम से कम 2 वर्ष ई5 में हों	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	**पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती** (9)	**यदि विभागीय पदोन्नति समिति विदयमान है, तो उसकी संरचना क्या है** (10)
	प्रतिनियुक्ति : सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 के वेतनमान (78,800-209,200 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर चार वर्ष की नियमित सेवा या ई6 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या ई5 ग्रेड में 4 वर्ष से समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई5	उप-महाप्रबंधक (उप महा प्र.) – वित्त एवं लेखा	80,000 – 3% – 2,20,000	6 माह	चयन	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	41 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
सीए/सीएमए/एम.कॉम/एमबीए (वित्त) या समकक्ष/सरकार की वित्त और लेखा सेवा के किसी संगठित समूह 'क'/समूह 'ख' का सदस्य के साथ किसी प्रतिष्ठित संगठन में वित्तीय लेखांकन या बजट या आंतरिक लेखा परीक्षक संविदा प्रबंधन या निधि प्रबंधन या संवितरण में कम से कम 4 वर्ष के अनुभव सहित कुल 9 वर्ष का अनुभव	**सीधी भर्ती :** (i) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त और (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई4 ग्रेड में 3 वर्ष/स्तर 11 में 3 वर्ष या ई5 ग्रेड या स्तर12 के पद पर कार्यरत **पदोन्नति :** कंपनी के वित्त और लेखा संवर्ग में ई4 - वरिष्ठ प्रबंधक(कों) में से चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को भी पूरा करते हों: • 9 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई4 में 3 वर्ष, या ई3 और ई4 ग्रेड में कुल 7 वर्ष, जिसमें से कम से कम 1 वर्ष ई4 में हो **प्रतिनियुक्ति :** सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से:	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	(i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 के वेतनमान (78,800- 2,09,200 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 के वेतनमान (67,700-208,700 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा या ई5 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या ई5 ग्रेड में 3 वर्ष से समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई4	वरिष्ठ प्रबंधक वित्त एवं लेखा	70,000 – 3% – 2,00,000	6 माह	गैर चयन	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	38 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
सीए/सीएमए/एम.कॉम/एमबीए (वित) या समकक्ष/सरकार की वित्त और लेखा सेवा के किसी संगठित समूह 'क'/समूह 'ख' का सदस्य के साथ वित्तीय लेखांकन या बजट या आंतरिक लेखा परीक्षक संविदा प्रबंधन या निधि प्रबंधन या प्रतिष्ठित संगठन में संवितरण में 3 वर्ष के अनुभव सहित कुल 6 वर्ष का अनुभव	**सीधी भर्ती :** (i) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त और (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई3 ग्रेड में 4 वर्ष / स्तर 10 में 4 वर्ष या ई4 ग्रेड या स्तर 11 के पद पर कार्यरत **पदोन्नति :** कंपनी के वित्त एवं लेखा संवर्ग में ई3 - प्रबंधक(कों) से गैर-चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को भी पूरा करते हैं: • 6 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई3 में 4 वर्ष **प्रतिनियुक्ति:** सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से:	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	(i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 के वेतनमान (67,700-208,700 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत। या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के वेतनमान (56,100-1,77,500 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर चार वर्ष की नियमित सेवा या ई4 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या ई3 ग्रेड में 4 वर्ष से समरूप यां समकक्ष पद पर कार्यरत या (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई3	प्रबंधक - वित्त एवं लेखा	60,000 – 3% – 1,80,000	लागू नहीं	गैर चयन	पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति	36 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
सीए/सीएमए/एम.कॉम/एमबीए (वित्त) या समकक्ष/सरकार की वित्त और लेखा सेवा के किसी संगठित समूह 'क'/समूह 'ख' का सदस्य के साथ वित्तीय लेखांकन या बजट या आंतरिक लेखा परीक्षक संविदा प्रबंधन या निधि प्रबंधन या प्रतिष्ठित संगठन में संवितरण में अनुभव सहित कुल 2 वर्ष का अनुभव	**पदोन्नति** : 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी करने के बाद वित्त एवं लेखा संवर्ग में परिवीक्षाधीन उप प्रबंधकों के रूप में नए नियुक्त अभ्यर्थियों में से गैर-चयन द्वारा **प्रतिनियुक्ति** : सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के वेतनमान (56,100-1,77,500 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत। या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 के वेतनमान (53,100-1,67,800 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा या ई3 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई2	उप-प्रबंधक वित्त एवं लेखा	50,000 – 3% – 1,60,000	2 वर्ष	गैर चयन	प्रतिनियुक्ति सीधी भर्ती	34 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
सीए/सीएमए/एम.कॉम/एमबीए (वित्त) या समकक्ष/सरकार की वित और लेखा सेवा के किसी संगठित समूह 'क'/समूह 'ख' का सदस्य	**सीधी भर्ती :** कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति:** सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर	लागू नहीं

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	8 के वेतनमान (47,600-1,51,100 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत। या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 के वेतनमान (44,900-1,42,400 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर **सात वर्ष** की नियमित सेवा या ई2 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

ग. मानव संसाधन और प्रशासन संवर्ग

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई9	वरिष्ठ कार्यपालक निदेशक (वरि.का.नि.) – मानव संसाधन और प्रशासन	1,50,000 – 3% – 3,00,000	लागू नहीं	चयन	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति	लागू नहीं

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री या समकक्ष/सरकार की किसी संगठित समूह 'क'/समूह 'ख' सेवा का सदस्य के साथ प्रशासन / स्थापना / मानव संसाधन / कार्मिक प्रबंधन में कम से कम 5 वर्ष के अनुभव सहित कुल मिलाकर 28 वर्ष का अनुभव	**पदोन्नति :** कंपनी के मानव संसाधन एवं प्रशासन संवर्ग में ई8 – कार्यपालक निदेशकों में से चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को भी पूरा करते हों: • 28 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई8 में 8 वर्ष, या ई7 और ई8 ग्रेड में कुल 12 वर्ष, जिसमें से 4 वर्ष ई8 में हों **प्रतिनियुक्ति :** सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 के वेतनमान (1,44,200-2,18,200 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर **आठ वर्ष** की नियमित सेवा या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 के वेतनमान (1,23,100-2,15,900 रुपए) और वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 के वेतनमान (1,44,200-2,18,200 रुपए) के पद पर **बारह वर्ष** की नियमित सेवा, जिसमें से कम से कम 4 वर्ष स्तर 14 में हों। या 8 वर्ष से ई8 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई8	कार्यपालक निदेशक (का.नि.) – मानस संसाधन एवं प्रशासन	1,20,000 – 3% – 2,80,000	6 माह	चयन	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	52 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री या समकक्ष/सरकार की किसी संगठित समूह 'क'/समूह 'ख' सेवा का सदस्य के साथ प्रशासन / स्थापना / मानव संसाधन / कार्मिक प्रबंधन में कम से कम 5 वर्ष के अनुभव सहित कुल 20 वर्ष का अनुभव	**सीधी भर्ती :** (i) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त और (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई7 ग्रेड में 4 वर्ष, या ई8 ग्रेड में या स्तर 14 पद पर कार्यरत **पदोन्नति** : कंपनी के मानव संसाधन एवं प्रशासन संवर्ग में ई7 - वरिष्ठ महाप्रबंधकों में से चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को भी पूरा करते हों: • 20 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई7 में 4 वर्ष, या ई6 और ई7 ग्रेड में कुल 7 वर्ष, जिसमें से कम से कम 2 वर्ष ई7 में हों	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	प्रतिनियुक्ति : सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों में से : (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 के वेतनमान (1,44,200-2,18,200 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत। या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 के वेतनमान (1,23,100-2,15,900 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर चार वर्ष की नियमित सेवा या ई8 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या 4 वर्ष से ई7 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई7	वरिष्ठ महाप्रबंधक (वरि.महा प्र.) – मानव संसाधन और प्रशासन	1,00,000 – 3% – 2,60,000	6 माह	चयन	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	48 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री या समकक्ष/सरकार की किसी संगठित समूह 'क'/समूह 'ख' सेवा का सदस्य के साथ प्रशासन / स्थापना / मानव संसाधन / कार्मिक प्रबंधन में कम से कम 3 वर्ष के अनुभव सहित कुल मिलाकर 16 वर्ष का अनुभव	**सीधी भर्ती :** (i) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त या (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई6 ग्रेड में 3 वर्ष / स्तर 13 में 3 वर्ष या ई7 ग्रेड के पद पर कार्यरत **पदोन्नति :** कंपनी के मानव संसाधन एवं प्रशासन संवर्ग में ई6 - महाप्रबंधकों में से चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को भी पूरा करते हों: • 16 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई6 में 3 वर्ष, या ई5 और ई6 ग्रेड में कुल 7 वर्ष, जिसमें से कम से कम 1 वर्ष ई6 में होगा	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	प्रतिनियुक्ति: सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों में से : (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 के वेतनमान (1,23,100-2,15,900 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत। या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 के वेतनमान (78,800- 2,09,200 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर **सात वर्ष** की नियमित सेवा या ई7 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या ई6 ग्रेड में 3 वर्ष से समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई6	महाप्रबंधक (महा प्र.) – मानव संसाधन एवं प्रशासन	90,000 – 3% – 2,40,000	6 माह	चयन	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	44 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री या समकक्ष/सरकार की किसी संगठित समूह 'क'/समूह 'ख' सेवा का सदस्य के साथ प्रशासन / स्थापना / मानव संसाधन / कार्मिक प्रबंधन में कम से कम 3 वर्ष के अनुभव सहित कुल 13 वर्ष का अनुभव	**सीधी भर्ती :** (i) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त और (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई5 ग्रेड में 4 वर्ष / स्तर 12 में 4 वर्ष या ई6 ग्रेड या स्तर 13 के पद पर कार्यरत **पदोन्नति :** कंपनी के मानव संसाधन एवं प्रशासन संवर्ग में ई5 – उप-महाप्रबंधकों से चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को भी पूरा करता हो: • 13 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई5 में 4 वर्ष, या ई4 और ई5 ग्रेड में कुल 7 वर्ष, जिसमें से कम से कम 2 वर्ष ई5 में हों	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	प्रतिनियुक्ति : सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 के वेतनमान (78,800- 2,09,200 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर **चार वर्ष** की नियमित सेवा या ई6 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या ई5 ग्रेड में 4 वर्ष से समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई5	उप-महाप्रबंधक (उप महा प्र.) – मानव संसाधन और प्रशासन	80,000 – 3% – 2,20,000	6 माह	चयन	पटोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	41 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री या समकक्ष/सरकार की किसी संगठित समूह 'क'/समूह 'ख' सेवा का सदस्य के साथ प्रशासन / स्थापना / मानव संसाधन / कार्मिक प्रबंधन में कम से कम 3 वर्ष के अनुभव सहित कुल मिलाकर 9 वर्ष का अनुभव	**सीधी भर्ती :** (i) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त और (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई4 ग्रेड में 3 वर्ष / स्तर 11 में 3 वर्ष या ई5 ग्रेड या स्तर 12 के पद पर कार्यरत **पदोन्नति :** कंपनी के मानव संसाधन एवं प्रशासन संवर्ग में ई4 - वरिष्ठ प्रबंधक(कों) में से चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को भी पूरा करते हों: • 9 वर्ष की समग्र सेवा[$], और • ई4 में 3 वर्ष, या ई3 और ई4 ग्रेड में कुल 7 वर्ष, जिसमें से कम से कम 1 वर्ष ई4 में हो	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	प्रतिनियुक्ति : सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 के वेतनमान (78,800-209,200 रुपए) में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 के वेतनमान (67,700-208,700 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा या ई5 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या 3 वर्ष से ई4 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई4	वरिष्ठ प्रबंधक - मानव संसाधन और प्रशासन	70,000 – 3% – 2,00,000	6 माह	गैर चयन	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	38 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री या समकक्ष/सरकार की किसी संगठित समूह 'क'/समूह 'ख' सेवा का सदस्य के साथ प्रशासन / स्थापना / मानव संसाधन / कार्मिक प्रबंधन में कम से कम 2 वर्ष के अनुभव सहित कुल 6 वर्ष का अनुभव	**सीधी भर्ती :** (i) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त और (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई3 ग्रेड में 4 वर्ष / स्तर 10 में 4 वर्ष या ई4 ग्रेड या स्तर 11 के पद पर कार्यरत **पदोन्नति :** कंपनी के मानव संसाधन एवं प्रशासन संवर्ग में ई3-प्रबंधक (कों) में से गैर-चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को भी पूरा करते हों: • 6 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई3 में 4 वर्ष **प्रतिनियुक्ति :** सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 के वेतनमान (67,700-208,700 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत।	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के वेतनमान (56,100- 1,77,500 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर चार वर्ष की नियमित सेवा या ई4 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या 4 वर्ष से ई3 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई3	प्रबंधक - मानव संसाधन और प्रशासन	60,000 – 3% – 1,80,000	लागू नहीं	गैर चयन	पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति	36 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री या समकक्ष/सरकार की किसी संगठित समूह 'क'/समूह 'ख' सेवा का सदस्य के साथ कुल मिलाकर 2 वर्ष का अनुभव	**पदोन्नति :** 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद, मानव संसाधन एवं प्रशासन संवर्ग में परिवीक्षाधीन उप प्रबंधक के रूप में नियुक्त नए उम्मीदवारों में से गैर-चयन द्वारा **प्रतिनियुक्ति :** सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के वेतनमान (56,100- 1,77,500 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत। या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 के वेतनमान (53,100- 1,67,800 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा या ई2 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	है।	

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई2	उप-प्रबंधक - मानव संसाधन और प्रशासन	50,000 – 3% – 1,60,000	2 वर्ष	गैर चयन	प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	34 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री या समकक्ष/सरकार की किसी संगठित समूह 'क'/समूह 'ख' सेवा का सदस्य	**सीधी भर्ती :** कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति** : सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 के वेतनमान (47,600-1,51,100 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत। या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 के वेतनमान (44,900-1,42,400 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर **सात वर्ष** की नियमित सेवा या	लागू नहीं

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	ई2 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

घ. भूमि अधिग्रहण संवर्ग

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई7	वरिष्ठ महाप्रबंधक (वरि. महा प्र.) – भूमि अधिग्रहण	1,00,000 – 3% – 2,60,000	6 माह	चयन	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / प्रत्यक्ष	48 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी सरचना क्या है (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री / सरकार की किसी संगठित समूह. 'क' / समूह 'ख' सेवा का सदस्य के साथ भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में कम से कम 3 वर्ष के अनुभव सहित कुल 24 वर्ष का अनुभव	**सीधी भर्ती :** (i) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त और (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई6 ग्रेड में 7 वर्ष / स्तर 13 में 7 वर्ष या ई7 ग्रेड के पद पर कार्यरत **पदोन्नति** : एनएचआईडीसीएल के भूमि अधिग्रहण संवर्ग में ई6 – महाप्रबंधक से चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों : • 24 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई6 में 7 वर्ष, या ई5 और ई6 ग्रेड में कुल 11 वर्ष, जिसमें से कम से कम 3 वर्ष ई6 में हों **प्रतिनियुक्ति** : सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत/अन्य सरकारी निकायों	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

शैक्षिक योग्यता और अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 के वेतनमान (1,23,100-2,15,900 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 के वेतनमान (78,800-2,09,200 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर सात वर्ष की नियमित सेवा या ई7 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या ई6 ग्रेड में 7 वर्ष से समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii)कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई6	महाप्रबंधक (महा प्र.) – भूमि अधिग्रहण	90,000 – 3% – 2,40,000	6 माह	चयन	पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती	44 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री / सरकार की किसी संगठित समूह 'क' / समूह 'ख' सेवा का सदस्य के साथ भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में कम से कम 3 वर्ष के अनुभव सहित कुल 17 वर्ष का अनुभव	**सीधी भर्ती :** (i) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त और (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई5 ग्रेड में 4 वर्ष/स्तर 12 में 4 वर्ष या ई5 ग्रेड या स्तर13 के पद पर कार्यरत **पदोन्नति** : एनएचआईडीसीएल के भूमि अधिग्रहण संवर्ग में ई5-उप-महा प्र. से चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों : • 17 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई5 में 4 वर्ष, या ई4 और ई5 ग्रेड में कुल 8 वर्ष, जिसमें से कम से कम 2 वर्ष ई5 में हों **प्रतिनियुक्ति** : सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

शैक्षिक योग्यता और अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	के स्तर 12 के वेतनमान (78,800-2,09,200 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर चार वर्ष की नियमित सेवा या ई6 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या ई5 ग्रेड में 4 वर्ष से समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई5	उप-महाप्रबंधक (उप-महा प्र.) – भूमि अधिग्रहण	80,000 – 3% – 2,20,000	6 माह	चयन	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती	41 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री / सरकार की किसी संगठित समूह 'क' / समूह 'ख' सेवा का सदस्य के साथ भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में कम से कम 3 वर्ष के अनुभव सहित कुल 13 वर्ष का अनुभव	**सीधी भर्ती :** (i) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त और (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई4 ग्रेड में 4 वर्ष/स्तर 11 में 4 वर्ष या ई5 ग्रेड या स्तर 12 पद पर कार्यरत **पदोन्नति :** एनएचआईडीसीएल के भूमि अधिग्रहण संवर्ग में ई4 - वरिष्ठ प्रबंधक से चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों : • 13 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई4 में 4 वर्ष, या ई3 और ई4 ग्रेड में कुल 7 वर्ष, जिसमें से कम से कम 2 वर्ष ई4 में हों **प्रतिनियुक्ति :** सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से : (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

शैक्षिक योग्यता और अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	के स्तर 12 के वेतनमान (78,800-2,09,200 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 के वेतनमान (67,700-2,08,700 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर चार वर्ष की नियमित सेवा या ई5 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या 4 वर्ष से ई4 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई4	वरिष्ठ प्रबंधक (वरि.प्र)–भूमि अधिग्रहण	70,000 – 3% – 2,00,000	6 माह	गैर-चयन	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती	38 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री / सरकार की किसी संगठित समूह 'क' / समूह 'ख' सेवा का सदस्य के साथ भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में कम से कम 2 वर्ष के अनुभव सहित कुल मिलाकर 9 वर्ष का अनुभव।	**सीधी भर्ती :** (i) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त के साथ (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई3 ग्रेड में 7 वर्ष/स्तर 10 में 7 वर्ष या ई3 ग्रेड या स्तर 11 के पद पर कार्यरत **पदोन्नति :** एनएचआईडीसीएल के भूमि अधिग्रहण संवर्ग में ई3-प्रबंधक से गैर-चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों : • 9 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई3 ग्रेड में 7 वर्ष **प्रतिनियुक्ति :** सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 के वेतनमान (67,700-2,08,700 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

शैक्षिक योग्यता और अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	पद पर कार्यरत या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के वेतनमान (56,100-1,77,500 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर सात वर्ष की नियमित सेवा या ई4 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या ई4 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति. की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई3	प्रबंधक - भूमि अधिग्रहण	60,000 – 3% – 1,80,000	लागू नहीं	गैर-चयन	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति	36 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री / सरकार की किसी संगठित समूह 'क' / समूह 'ख' सेवा का सदस्य के साथ 2 वर्ष का समग्र अनुभव	**पदोन्नति** : एनएचआईडीसीएल के भूमि अधिग्रहण संवर्ग में ई2– उप-प्रबंधक से गैर-चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों : • परिवीक्षाधीन उप प्रबंधक के रूप में नवनियुक्त और 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के बाद ई3 (प्रबंधक) के रूप में नियुक्त **प्रतिनियुक्ति** : सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से : (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के वेतनमान (56,100-1,77,500 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत। या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 के वेतनमान (53,100- 1,67,800 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा या ई3 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

शैक्षिक योग्यता और अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	सकता है।	

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई2	उप प्रबंधक–भूमि अधिग्रहण	50,000 – 3% – 1,60,000	2 वर्ष	गैर-चयन	प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती	34 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और अनुभव (8)	प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री / सरकार की किसी संगठित समूह 'क' / समूह 'ख' सेवा का सदस्य	**सीधी भर्ती :** कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति :** सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 के वेतनमान (47,600-1,51,100 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत। या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 के वेतनमान (44,900-1,42,400 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर सात वर्ष की नियमित सेवा या	लागू नहीं

शैक्षिक योग्यता और अनुभव (8)	प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	ई2 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

ड. विधिक संवर्ग

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई7	वरिष्ठ महाप्रबंधक (वरि.महा प्र.) - विधिक	1,00,000 - 3% - 2,60,000	6 माह	चयन	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	48 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक उपाधि के साथ संविदात्मक मामलों या मध्यस्थता या विधायी मामलों या भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधि के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष के अनुभव सहित 24 वर्ष का समग्र अनुभव	**सीधी भर्ती :** (i) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त और (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई6 ग्रेड में 7 वर्ष / स्तर 13 में 7 वर्ष या ई7 ग्रेड के पद पर कार्यरत **पदोन्नति :** एनएचआईडीसीएल के विधि संवर्ग में ई6 – महा प्र. से चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों : • 24 वर्ष की समग्र सेवा$, और • ई6 में 7 वर्ष, या ई5 और ई6 ग्रेड में कुल 11 वर्ष, जिसमें से कम से कम 3 वर्ष ई6 में हों **प्रतिनियुक्ति :** सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से:	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	(i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 के वेतनमान (1,23,100-2,15,900 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत। या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 के वेतनमान (78,800-2,09,200 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर **सात वर्ष** की नियमित सेवा या ई7 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या ई6 ग्रेड में 7 वर्ष से समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई6	महाप्रबंधक (महा प्र.) - विधिक	90,000 - 3% - 2,40,000	6 माह	चयन	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	44 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक उपाधि के साथ संविदात्मक मामलों या मध्यस्थता या विधायी मामलों या भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधि के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष के अनुभव सहित 17 वर्ष का समग्र अनुभव	**सीधी भर्ती :** (i) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त और (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई5 ग्रेड में 4 वर्ष/स्तर 12 में 4 वर्ष या ई5 ग्रेड या स्तर13 के पद पर कार्यरत **पदोन्नति :** एनएचआईडीसीएल के विधिक संवर्ग में ई5 – उप महा प्र. से चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों : • 17 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई5 में 4 वर्ष, या ई4 और ई5 ग्रेड में कुल 8 वर्ष, जिसमें से कम से कम 2 वर्ष ई5 में हों **प्रतिनियुक्ति :** सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	12 के वेतनमान (78,800-209,200 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर **चार वर्ष** की नियमित सेवा या ई6 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या ई5 ग्रेड में 4 वर्ष से समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई5	उप-महाप्रबंधक (उप महा प्र.) - विधिक	80,000 - 3% - 2,20,000	6 माह	चयन	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	41 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक उपाधि के साथ संविदात्मक मामलों या मध्यस्थता या विधायी मामलों या भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधि के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष के अनुभव सहित 13 वर्ष का समग्र अनुभव	**सीधी भर्ती :** (i) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त और (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई4 ग्रेड में 4 वर्ष/स्तर 11 में 4 वर्ष या ई5 ग्रेड या स्तर 12 पद पर कार्यरत **पदोन्नति :** एनएचआईडीसीएल के विधिक संवर्ग में ई4.- वरिष्ठ प्रबंधक से चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों : • 13 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई4 में 4 वर्ष, या ई3 और ई4 ग्रेड में कुल 7 वर्ष, जिसमें से कम से कम 2 वर्ष ई4 में हों **प्रतिनियुक्ति :** सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 के वेतनमान (78,800-2,09,200 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	पद पर कार्यरत। या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 के वेतनमान (67,700-2,08,700 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर चार वर्ष की नियमित सेवा या ई5 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या 4 वर्ष से ई4 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई4	वरिष्ठ प्रबंधक-विधिक	70,000 - 3% - 2,00,000	6 माह	गैर-चयन	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	38 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक उपाधि के साथ संविदात्मक मामलों या मध्यस्थता या विधिक मामलों या भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधि के क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष के अनुभव सहित कुल 9 वर्ष का अनुभव	**सीधी भर्ती :** (i) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त और (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई3 ग्रेड में 7 वर्ष/स्तर 10 में 7 वर्ष या ई4 ग्रेड या स्तर 11 पद पर कार्यरत **पदोन्नति :** एनएचआईडीसीएल के विधिक संवर्ग में ई3-प्रबंधक से गैर-चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों : • 9 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई3 ग्रेड में 7 वर्ष **प्रतिनियुक्ति** : सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी सरचना क्या है (10)
	शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से : (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 के वेतनमान (67,700-2,08,700 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत। या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के वेतनमान (56,100-1,77,500 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर **सात वर्ष** की नियमित सेवा या ई4 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या ई3 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर 7 वर्ष से कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई3	प्रबंधक - विधिक	60,000 – 3% – 1,80,000	लागू	गैर-चयन	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति	36 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक उपाधि के साथ कुल 2 वर्ष का अनुभव	**पदोन्नति :** एनएचआईडीसीएल के विधिक संवर्ग में ई2 - उप प्रबंधक से गैर-चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों : • परिवीक्षा पर उप-प्रबंधक के रूप में नवनियुक्त और 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के बाद ई3 (प्रबंधक) के रूप में नियुक्त **प्रतिनियुक्ति :** सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से : (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के वेतनमान (56,100-1,77,500 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत। या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 के वेतनमान (53,100- 1,67,800 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा या ई3 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई2	उप प्रबंधक–विधिक	50,000 – 3% – 1,60,000	2 वर्ष	गैर-चयन	प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	34 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक उपाधि	**सीधी भर्ती :** कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त . **प्रतिनियुक्ति :** सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 के वेतनमान (47,600-1,51,100 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत। या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 के वेतनमान (44,900-1,42,400 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर **सात वर्ष** की नियमित सेवा या ई2 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

ङ. सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई7	वरिष्ठ महाप्रबंधक (वरि.महा प्र.) – सूचना प्रौद्योगिकी	1,00,000 – 3% – 2,60,000	6 माह	चयन	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	48 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
बीई/बी.टेक (कंप्यूटर साइंस/आईटी/नेटवर्क)/एमसीए /एमएससी (आईटी)/एम.टेक (साइबर सुरक्षा) - अधिमानतः एसएपी प्रमाणित एबीएपी / सरकार की संगठित समूह 'क'/समूह 'ख' सेवा का सदस्य के साथ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन/एप्लिकेशन प्रबंधन/ साइबर सुरक्षा या अन्य आईटी सेवाओं में 24 वर्ष का समग्र अनुभव	**सीधी भर्ती :** (i) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त और (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई6 ग्रेड में 7 वर्ष / स्तर 13 में 7 वर्ष या ई7 ग्रेड के पद पर कार्यरत **पदोन्नति :** एनएचआईडीसीएल के सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग में ई6 – महाप्रबंधक से चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों : • 24 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई6 में 7 वर्ष, या ई5 और ई6 ग्रेड में कुल 11 वर्ष, जिसमें से कम से कम 3 वर्ष ई6 में हों	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	प्रतिनियुक्ति : सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 के वेतनमान (1,23,100-2,15,900 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत. या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 के वेतनमान (78,800-2,09,200 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर **सात वर्ष** की नियमित सेवा या ई7 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या ई6 ग्रेड में 07 वर्ष से समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई6	महाप्रबंधक (महा प्र.) - सूचना प्रौद्योगिकी	90,000 - 3% - 2,40,000	6 माह	चयन	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	44 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
बीई/बी.टेक (कंप्यूटर साइंस/आईटी/नेटवर्क)/एमसीए/एमएससी (आईटी)/एम.टेक (साइबर सुरक्षा) - अधिमानतः एसएपी प्रमाणित एबीएपी / सरकार की संगठित समूह 'क'/समूह 'ख' सेवा का सदस्य के साथ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन/एप्लिकेशन प्रबंधन/ साइबर सुरक्षा या अन्य आईटी सेवाओं में 17 वर्ष का समग्र अनुभव	**सीधी भर्ती :** (i)कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त और (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई5 ग्रेड में 4 वर्ष/स्तर 12 में 4 वर्ष या ई6 ग्रेड या स्तर13 के पद पर कार्यरत **पदोन्नति** : एनएचआईडीसीएल के सूचना प्रौद्योगिकी में ई5 – उप-महाप्रबंधक से चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों : • 17 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई5 में 4 वर्ष, या ई4 और ई5 ग्रेड में कुल 8 वर्ष, जिसमें से कम से कम 2 वर्ष ई5 में हों **प्रतिनियुक्ति** : सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से : (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 के वेतनमान (78,800-209,200 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	पर **चार वर्ष** की नियमित सेवा या ई6 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या ई5 ग्रेड में 4 वर्ष से समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii)कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई5	उप-महाप्रबंधक (उप महा प्र.) – सूचना प्रौद्योगिकी	80,000 – 3% – 2,20,000	6 माह	चयन	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	41 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
बीई/बी.टेक (कंप्यूटर साइंस/आईटी/नेटवर्क)/एमसीए/एमएससी (आईटी)/एम.टेक (साइबर सुरक्षा) - अधिमानतः एसएपी प्रमाणित एबीएपी / सरकार की संगठित समूह 'क'/समूह 'ख' सेवा का सदस्य के साथ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन/एप्लिकेशन प्रबंधन/ साइबर सुरक्षा या अन्य आईटी सेवाओं में 13 वर्ष का समग्र अनुभव	**सीधी भर्ती :** (i) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त और (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई4 ग्रेड में 4 वर्ष/स्तर 11 में 4 वर्ष या ई5 ग्रेड या स्तर 12 पद पर कार्यरत **पदोन्नति :** एनएचआईडीसीएल के सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग में ई4-वरिष्ठ प्रबंधक से चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों: • 13 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई4 में 4 वर्ष, या ई3 और ई4 ग्रेड में कुल 7 वर्ष, जिसमें से कम से कम 2 वर्ष ई4 में हों **प्रतिनियुक्ति :** सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 के वेतनमान (78,800-2,09,200 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	पद पर कार्यरत। या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 के वेतनमान (67,700-2,08,700 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर **चार वर्ष** की नियमित सेवा या ई5 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या 4 वर्ष से ई4 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई4	वरिष्ठ प्रबंधक - सूचना प्रौद्योगिकी	70,000 – 3% – 2,00,000	6 माह	गैर-चयन	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	38 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
बीई/बी.टेक (कंप्यूटर साइंस/आईटी/नेटवर्क)/एमसीए/एमएससी (आईटी)/एम.टेक (साइबर सुरक्षा) - अधिमानतः एसएपी प्रमाणित एबीएपी / सरकार की संगठित समूह 'क'/समूह 'ख' सेवा का सदस्य के साथ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन/एप्लिकेशन प्रबंधन/ साइबर सुरक्षा या अन्य आईटी सेवाओं में 9 वर्ष का समग्र अनुभव	**सीधी भर्ती :** (i) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त के साथ (ii) निजी क्षेत्र में यथा अधिसूचित उपयुक्त स्तर का समग्र अनुभव। या ई3 ग्रेड में 7 वर्ष/स्तर 10 में 7 वर्ष या ई3 ग्रेड या स्तर 11 के पद पर कार्यरत **पदोन्नति :** एनएचआईडीसीएल के सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग में ई3-प्रबंधक से गैर-चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों : • 9 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई3 ग्रेड में 7 वर्ष **प्रतिनियुक्ति :** सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से : (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 के वेतनमान (67,700-2,08,700 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	पद पर कार्यरत। या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के वेतनमान (56,100-1,77,500 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर **सात वर्ष** की नियमित सेवा या ई4 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या ई3 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर 7 वर्ष से कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई3	प्रबंधक – सूचना प्रौद्योगिकी	60,000 – 3% – 1,80,000	लागू नहीं	गैर-चयन	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति	36 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
बीई/बी.टेक (कंप्यूटर साइंस/आईटी/नेटवर्क)/एम सीए/एमएससी (आईटी)/एम.टेक (साइबर सुरक्षा) - अधिमानतः एसएपी प्रमाणित एबीएपी / सरकार की संगठित समूह 'क'/समूह 'ख' सेवा का सदस्य के साथ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन/एप्लिकेशन प्रबंधन/ साइबर सुरक्षा या अन्य आईटी सेवाओं में 2 वर्ष का समग्र अनुभव	**पदोन्नति :** एनएचआईडीसीएल के सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग में ई2 - उप प्रबंधक से गैर-चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों : • परिवीक्षाधीन उप-प्रबंधक के रूप में नवनियुक्त और 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी करने के बाद ई3 (प्रबंधक) के रूप में नियुक्त **प्रतिनियुक्ति :** सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से : (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के वेतनमान (56,100-1,77,500 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत। या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 के वेतनमान (53,100- 1,67,800 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा या ई3 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई2	उप प्रबंधक-सूचना प्रौद्योगिकी	50,000 – 3% – 1,60,000	2 वर्ष	गैर-चयन	प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	34 वर्ष

शैक्षिक योग्यता और वांछित अनुभव (8)	प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
बीई/बी.टेक (कंप्यूटर साइंस/आईटी/नेटवर्क)/एमसीए/एमएससी (आईटी)/एम.टेक (साइबर सुरक्षा) - अधिमानतः एसएपी प्रमाणित एबीएपी / सरकार की संगठित समूह 'क'/समूह 'ख' सेवा का सदस्य	**सीधी भर्ती :** कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति :** सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 के वेतनमान (47,600-1,51,100 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत। या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 के वेतनमान (44,900-1,42,400 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर **सात वर्ष** की नियमित सेवा या ई2 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	लागू नहीं

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

च. अनुसचिवीय संवर्ग

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई6	प्रधान स्टाफ अधिकारी (पीएसओ)	90,000 – 3% – 2,40,000	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति या पदोन्नति	लागू नहीं

शैक्षिक योग्यता और अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक	**पदोन्नति** : एनएचआईडीसीएल के अनुसचिवीय संवर्ग में ई5 – प्रधान स्टाफ अधिकारी से चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता हो : • 16 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई5 में 7 वर्ष, या ई4 और ई5 ग्रेड में कुल 9 वर्ष, जिसमें से कम से कम 2 वर्ष ई5 में हों **प्रतिनियुक्ति** : सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 के वेतनमान (78,800-209,200 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर **चार वर्ष** की नियमित सेवा या ई6 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या 7 वर्ष से ई5 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई5	प्रधान निजी सचिव (पीपीएस)	80,000 – 3% – 2,20,000	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति	लागू नहीं

शैक्षिक योग्यता और अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक	**पदोन्नति** : एनएचआईडीसीएल के अनुसचिवीय संवर्ग में ई5 – वरिष्ठ निजी सचिव से चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता हों • 13 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई4 में 7 वर्ष, या ई2 और ई4 संवर्ग में 9 वर्ष, जिसमें से कम से कम 1 वर्ष ई4 में होगा **प्रतिनियुक्ति** : सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 के वेतनमान (78,800-2,09,200 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 के वेतनमान (67,700-2,08,700 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर **तीन वर्ष** की नियमित सेवा या ई5 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

शैक्षिक योग्यता और अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	7 वर्ष से ई4 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई4	वरिष्ठ निजी सचिव (वरि. नि.स.)	70,000 – 3% – 2,00,000	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति या पदोन्नति	लागू नहीं

शैक्षिक योग्यता और अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक	**पदोन्नति** : एनएचआईडीसीएल के अनुसचिवीय संवर्ग में ई2 –निजी सचिव से चयन द्वारा, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता हों • 9 वर्ष की समग्र सेवा, और • ई2 में 7 वर्ष **प्रतिनियुक्ति** : सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 के वेतनमान (67,700-208,700 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के वेतनमान (56,100-1,77,500 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर **चार वर्ष** की नियमित सेवा या ई4 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या	एनएचआईडीसीएल संवर्ग नियमावली के नियम 8.3 के अनुसार डीपीसी का गठन

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

शैक्षिक योग्यता और अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
	7 वर्ष से ई2 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई4	कंपनी सचिव	70,000 – 3% – 2,00,000	6 माह	लागू नहीं	सीधी भर्ती	38

शैक्षिक योग्यता और अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान की डिग्री और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के एसोसिएट/फेलो सदस्य और 25 करोड़ रुपए या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी वाली किसी कंपनी में कंपनी सचिव के रूप में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव सहित कुल मिलाकर 6 वर्ष का अनुभव।	**सीधी भर्ती :** कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त	

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई4	सहायक निदेशक (राजभाषा)	70,000 – 3% – 2,00,000	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति	लागू नहीं

शैक्षिक योग्यता और अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा माध्यम के रूप में या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि और स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या	**प्रतिनियुक्ति** : सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 के वेतनमान (67,700-2,08,700 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत। या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के वेतनमान (56,100-1,77,500 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर **चार वर्ष** की नियमित सेवा ई4 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत या 4 वर्ष तक ई3 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत। और (ii) कॉलम 8 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव प्राप्त	लागू नहीं

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

शैक्षिक योग्यता और अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हों या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो।	**प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

'समग्र सेवा' से तात्पर्य किसी आवेदक द्वारा कंपनी में सीधी भर्ती के माध्यम से ई2 ग्रेड में कार्य ग्रहण करने के बाद की गई समग्र सेवा वर्षों की संख्या से है। ऐसे आवेदक जिन्होंने कंपनी में सीधी भर्ती के माध्यम से ई2 के अलावा किसी अन्य ग्रेड में कार्य ग्रहण किया है, उनके लिए समग्र सेवा की गणना आवेदक द्वारा ऐसे ग्रेड में कार्य ग्रहण करने के बाद की गई सेवा के वर्षों के योग और इन नियमों के तहत उस ग्रेड के लिए निर्धारित न्यूनतम सेवा वर्षों की संख्या के रूप में की जाएगी जिसमें उन्होंने कार्य ग्रहण किया था।

उदाहरण: - किसी व्यक्ति ने कंपनी में सीधी भर्ती के माध्यम से ई5 ग्रेड में कार्य ग्रहण किया है और उसने कंपनी में विभिन्न ग्रेडों में 12 वर्ष सेवा की है, तो उसके लिए "समग्र सेवा" की गणना 12 वर्ष और 9 वर्ष के योग के रूप में की जाएगी जो ई5 ग्रेड में कार्य ग्रहण करने की पात्रता अवधि (वर्षों की संख्या) है। अतएव, उसकी "समग्र सेवा" में कुल 21 वर्षों की गिनती की जाएगी।

*'सहायक अभियंता (एई)' से तात्पर्य उस स्तर से है और जिसमें वह स्तर शामिल है जिस पर किसी स्नातक अभियंता को राज्य के अभियंताओं की संगठित सेवा में समूह क और/या श्रेणी I स्तर में प्रवेश स्तर पर भर्ती किया गया है।

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

2493775/2026/H.R

अनुसूची ग

एनएचआईडीसीएल के प्रचालन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 4 अलग-अलग श्रेणियों में समूहीकृत किया जाएगा। ये समूह नीचे दर्शाए गए हैं:

समूह संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
समूह 1	असम
	मणिपुर
	नागालैंड
समूह 2	अरुणाचल प्रदेश
	मेघालय
	मिजोरम
समूह 3	त्रिपुरा
	सिक्किम
	पश्चिमी बंगाल (उत्तरी बंगाल)
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
समूह 4	जम्मू और कश्मीर
	लद्दाख
	उत्तराखंड
	हिमाचल प्रदेश

File No. NHIDCL/Cadre/RecruitmentRules/2025 (Computer No. 248068)
Generated from eOffice by Yogendra Mohan, YM-GM-HR Recutt., GENERAL MANAGER, NHIDCL on 19/01/2026 06:31 pm

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई2	निजी सचिव (नि.स.)	50,000 – 3% – 1,60,000	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति	लागू नहीं

शैक्षिक योग्यता और अनुभव (8)	प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक	**प्रतिनियुक्ति** : सरकारी (केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) मंत्रालयों या विभागों, या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या सांविधिक/स्वायत्त/अन्य सरकारी निकायों या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों या कर्मचारियों से: (i) मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 के वेतनमान (47,600-1,51,100 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत। या मूल संवर्ग में भारत सरकार के 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 के वेतनमान (44,900-1,42,400 रुपए) में समरूप या इसके समकक्ष पद पर **सात वर्ष** की नियमित सेवा या ई2 ग्रेड में समरूप या समकक्ष पद पर कार्यरत **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।	लागू नहीं

छ. विलगित पद

ग्रेड (आईडीए) (1)	पद (2)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का स्तर (3)	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि (4)	चयन पद या गैर-चयन पद (5)	भर्ती की विधि (6)	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (7)
ई7	मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)	1,00,000 – 3% – 2,60,000	लागू नहीं	लागू नहीं	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारत सरकार द्वारा बनाए जा रहे पैनल में शामिल अधिकारियों में से कार्यकाल के आधार पर	लागू नहीं

शैक्षिक योग्यता और अनुभव (8)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती (9)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है (10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं